रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243777 CG-DL-E-21022023-243777

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] No. 96] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.िन. 118(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख), धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आयकर नियम, 1962 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, नियम 16गग, के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1118 GI/2023 (1)

'16गग. धारा 10(23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन विहित संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.—ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसका धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—

(क) प्ररूप संख्या 10ख जहां—

- (I) उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) और (viक) के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक है; या
- (II) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है ; या
- (III) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत से बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है ;

(ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख।

स्पष्टीकरण.- खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए "विदेशी अभिदाय" पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है।'।

3. मूल नियम के नियम 17ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'17ख. पूर्त या धार्मिक न्यास आदि के मामले में संपरीक्षा रिपोर्ट.— किसी न्यास या संस्था के लेखे की संपरीक्षा रिपोर्ट जिसे धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—

(क) प्ररूप सं. 10ख, जहां—

- (I) अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक है; या
- (II) ऐसे न्यास या संस्था ने पुववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है ; या
- (III) ऐसे न्यास या संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत के बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है ;
- (ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख।

स्पष्टीकरण.- खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए "विदेशी अभिदाय" पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है।'।

4. मूल नियम के प्ररूप सं. 10ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

'प्ररूप सं. 10ख'

[नियम 16गग और 17ख देखिएं]

ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट।

[नाग II—अ <i>॰७]</i>	(1)] नारा काराजारक
संस्था का नाम] त लेखा या लाभ तश्	निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा ।।रीखको तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय का था हानि लेखा की जांच की हैं जो ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक ल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप है।
	प्तभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
निधि या संस्थान	में, लेखाओं की समुचित बहियां उपाबंध की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित ऐसी त या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लिय में रखी गई है :
	में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपाबंध में दी नेम्नलिखित संप्रेक्षणों या अर्हताओं के अधीन सत्य और सही हैं—
(ख)	
	य में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखाओं में ांबंध में सत्य और उचित अवलोकन दिए गए है—
(i)	तुलन-पत्र की दशा में, तारीखको ऊपर नामित निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की स्थिति ; और
(ii)	(ii) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा मेंको निम्नलिखित संप्रेक्षणों/अर्हताओं के अधीन समाप्त होने वाले लेखा वर्ष की आय और उपयोग या लाभ या हानि- (क) (ख) (ग)
विहित विशिष्टिय स्थान:	ां इसके साथ संलग्न हैं।

तारीख:

हस्ताक्षरित अकाउंटेंट † नाम सदस्यता संख्या पता

टिप्पण:

- 1. *जो लागू न हो उसे काट दे।
- 2. †यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी।
- 3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी भी मामले का नकारात्मक या अर्हता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाऐंगे।

					उ	पाबंध								
					विशिष्टिर	ों का विवरण								
	1.	संपरीक्षिती का	पेन				ए बी र्स	ो डी	. क्रि	1	2	3	4	एफ
	2.	संपरीक्षिती का	नाम											
ब्योर	3.	निर्धारण वर्ष												
न्म ब	4.	पूर्व वर्ष					दि दि म म	वव	व व					
आधारिक							स दिदिमिम	व व	व व					
-	5.	संपरीक्षिती क	ा रजिस्ट्रीकृत प	 ता				l l						
•	6.	अन्य पते, यदि	लागू हो				< निर्देश टिप्पण*>	,						
용	7.	संपरीक्षिती का	प्रकार				न्या □ सोस स इटी		कंपनी	Ę] अन्य	г		
विधिक	8.	क्या संपरीक्षित	ती किसी लिखत	ा के अधीन स्थापित [ः]	किया गया है?		हां/नहीं							
ण ब्यौरे	9.	(सभी रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम अनुमोदन/अधिसूचना के ब्यौरे, जो पूर्ववर्ष के दौरान विधिमान्य है, प्रदान किए जाने चाहि जहां संपरीक्षिती ने अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन कराया है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के ब्यौरे प्रदान आवश्यकता नहीं है) धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम वह तारीख रजिस्ट्रीकृत/अनंतिम रुप से रजिस्ट्रीकरण या धिसूचना/विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण/अनं												दान करने की ख जिससे
रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे		रजिस्ट्रीकृत य रूप से अनुमो गया है (निर्देश टिप्पण	ा अनुमोदित/ः दित/अधिसूचित	अनंतिम अनुमोदन/ किया अनुमोदन/ (दिदि/माम	अनंतिम अधिसूचना की तारीख	रजिस्ट्रीक (यूआरएन हो							या तिम प्रेसूचना ई	
		(1)		(2)		(3)	(4) (5)							
								-311211 /=	यासियों)/ः	मोमाद	टी के	गटगो	έ /οππ	सी परिषद् के
	10.			ो भी समय संपरीधि शत या अधिक धृति ध शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत	तता क सभा कता(अ ग्रारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान संख्या		बियरर(यों) के ब्यौ	रे क्या	संपरीक्षा ग़री में क	का पूर्व	वर्ष वे	के दौरा	न है	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें
	10.	सदस्यों/निदेशव व्यक्ति का	n(कों)/पांच प्रति नातेदारी < निर्देश	शत या अधिक धृति ध शेयरधारक की दशा में धृति का	बारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान	धारकों/आफिस आईडी कोड < निर्देश	बियरर(यों) के ब्यौ	रे क्या नातेव	संपरीक्षा ग़री में क	का पूर्व	वर्ष वे	के दौरा	न और	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट
प्रबंधन	10.	सदस्यों/निदेशव व्यक्ति का नाम (1)	त्त्रकों)/पांच प्रति नातेदारी < निर्देश टिप्पण #> (2)	शत या अधिक धृति ध शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत	प्रारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान संख्या (4)	धारकों/आफिस आईडी कोड < निर्देश टिप्पण##> (5)	बियरर(यों) के ब्यौ पता (6)	क्या नातेव हां/न	संपरीक्षा ग़री में के हीं	का पूर्व ोई परि	े वर्ष ^{हे} रेवर्तन	के दौरा हुआ	न और	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें (8)
प्रबंधन	10.	सदस्यों/निदेशव व्यक्ति का नाम (1) (ख) उस दशाः हिताधिकारी स	ह(कों)/पांच प्रति नातेदारी < निर्देश टिप्पण #> (2) में यदि व्यक्तियं वामी (5% से	शत या अधिक धृति ध शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत (3) ऑधेक) है के निम्नलि विशिष्ट पहचान संख्या	प्रारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान संख्या (4) (क) में यथा उल्लिखित खित ब्यौरे प्रदान करें आईडी कोड < निर्देश टिप्पण##>	धारकों/आफिस आईडी कोड < निर्देश टिप्पण##> (5)	वियरर(यों) के ब्यौं पता (6) तब प्राकृतिक व्यक्ति [पंक्ति संख्या 10(क) में यथा उल्लिखित] जिसमें हिताधिकारी स्वामित्व निहित है	क्या नातेव हां/न (7) क्तियों जं	संपरीक्षा ग़री में के हीं	का पूर्व जोई पर्ा के दौर	ं वर्ष ^{हे} रेवर्तन ान कि क्य संप पूर्व दौर प्रक कुल परि कि है ह	के दौरा हुआ सी समः सी समः तान तार व रा वर्तन पा गय	न है य ऐसे के के	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें (8) से व्यक्तियों के यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें
प्रबंधन		सदस्यों/निदेशव व्यक्ति का नाम (1) (ख) उस दशा हिताधिकारी स क्र.सं.	त्तिं)/पांच प्रति नातेदारी निर्देश टिप्पण #> (2) में यदि व्यक्तियं वामी (5% से	शत या अधिक धृति ध शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत (3) ों में कोई (पंक्ति 10) अधिक) है के निम्नलि	प्रारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान संख्या (4) (क) में यथा उल्लिखित खित ब्यौरे प्रदान करें आईडी कोड < निर्देश	धारकों/आफिस आईडी कोड < निर्देश टिप्पण##> (5)	वियरर(यों) के ब्यौं पता (6) तब प्राकृतिक व्यक्ति व्यक्ति [पंक्ति संख्या 10(क) में यथा उल्लिखित] जिसमें हिताधिकारी स्वामित्व	क्या नातेव हां/न (7)	संपरीक्षाः रारी में व हीं पेयुर्व वर्ष धिकारी मेत्व का प्र	का पूर्व जोई पर्ति के दौर	ं वर्ष ^{हे} वर्तन रेवर्तन गन कि संप पूर्व दौर प्रक कुल परि किर है ह	के दौरा हुआ सी समः सी समः तान तार व रा वर्तन पा गय	न है य ऐसे के के	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें (8) से व्यक्तियों के यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट
उद्देश्य	11.	सदस्यों/निदेशव व्यक्ति का नाम (1) (ख) उस दशा हिताधिकारी स क्र.सं.	त्तिं)/पांच प्रति नातेदारी निर्देश टिप्पण #> (2) में यदि व्यक्तियं वामी (5% से नाम	शत या अधिक धृति ध शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत (3) ों में कोई (पंक्ति 10) अधिक) है के निम्नलि विशिष्ट पहचान संख्या	प्रारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान संख्या (4) (क) में यथा उल्लिखित खित ब्यौरे प्रदान करें आईडी कोड < निर्देश टिप्पण##>	धारकों/आफिस आईडी कोड < निर्देश टिप्पण##> (5)) व्यष्टि नहीं है पता	वियरर(यों) के ब्यौं पता (6) तब प्राकृतिक व्यक्ति व्यक्ति [पंक्ति संख्या 10(क) में यथा उल्लिखित] जिसमें हिताधिकारी स्वामित्व निहित है (6)	क्या नातेव हां/न (7) क्तियों जं	संपरीक्षाः ग़री में के हीं ो पूर्व वर्ष	का पूर्व जोई पर्ति के दौर	ं वर्ष ^{हे} वर्तन रेवर्तन गन कि संप पूर्व दौर प्रक कुल परि किर है ह	के दौरा हुआ सी समः सी समः तान तार व रा वर्तन पा गय	न है य ऐसे के के	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें (8) से व्यक्तियों के यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें

		(ii)	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-															
			(अ) ऐसे	उपांतरण/ अंगीक	रण की त	ारीख (दिदि/मामा/वद	त्रवव)											
			अनुर		ण या उप	ादन, धारा 12 क की र गंतरण की तारीख से गा गया है					हां/	/नहीं						
			(इ) यदि	 हां, 12क की उप	धारा (1)) के खंड (कग) के उपख	वंड (v) के उ	प्रधीन व	रजिस्ट्रीकरण [े]	के लिए आवे	दन के स	—— गंबंध गे	—— में निम्	—— नलिखि	—— त ब्यौरे	- प्रदान	करें	
			新 .			आवेदन की तारीख		आवेत	ह्न के अनु न्ट्रीकरण की प्र	सरण में	ऐसे आ	विदन ोकरण	के आध		t t		स्ट्रीकर	ण का
								् प्रदान गया/	त है/रजिस्ट्री ा किया रजिस्ट्रीकरण गया)		(दिदि	/मामा	/ववव	ৰ)				
	13.	(i)		ती को अनंतिम र ान प्रारंभ हो चुवे		रण या अनंतिम अनुमे	गेदन प्रदान	किया	गया है, क्या	क्रियाकला	प हां/	/नहीं						
		(ii)	यदि 13(i) का	उत्तर हां में है, त	नो क्रियाव	ज्लापों के आरंभ की ता	ारीख				ſ	दे टि	रे मा	मा	व व	व	व	
। प्रारंभ		(iii)	रजिस्ट्रीकरण		गा धारा <i>'</i>	गरा 12क की उपधार 10 के खंड (23ग) के प					_	/नहीं						
क्रियाकलापों का प्रारंभ		(iv)			खंड (iii)	ै तो धारा 12क की उ के अधीन अनुमोदन के	लिए आवे	इन के र	वंध में निम्न	लिखित ब्यौ	रे प्रदान	करें						'0 के
क्रिया			क्र.सं.		आवेदन	ा की तारीख			अनुसरण में की प्रास्थिति	ऐसे आवे रजिस्ट्रीब तारीख					े रजि ारएन	गेस्ट्रीक	रण	का
				(लंबित है/रजिस्ट्रीकरण (दिदि/म प्रदान किया गया/रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया)				गमा/वव	वव)									
inc	14.	(i)				गरीक्षिती द्वारा धारा ′ रक्षित किए जाते हैं	 17कक के अ	ाधीन य	ाथा विहित प्र	रूप और	हां/	'नहीं						
अ जाते		(ii)	लेखा बहियों ३	गौर अन्य दस्तावेज	नों के निम	नलिखित ब्यौरे प्रदान	करें											
स्थान के ब्यौरे जहां लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखे जाते		新. 莊	लेखा बहियों की प्रकृति <टिप्पण \$\$ देखें>	द्वारा अ किया गया है (हां/नहीं)	रीक्षिती नुरक्षित	क्या कंप्यूटर सिस्टम में अनुरक्षित हैं, (हां/नहीं)	क्या रजिस्ट्रीव कार्यालय अनुरक्षित (हां नहीं	ा में तहै	क्या रजिस्ट्रें (हां नहीं) ऐसे स्थान का पता	प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर लेखा रखने के निर्णय की तारीख	निर्धाः अधिव सूचित तारीख 17कः नियम परंतुव लेखा स्थान अनुर्रा जाती	रण गारी जा कर ब कि क के प (3 क के बहिय	को ने की नियम उप- अधीन अधीन पर	संप (ह ो ो न - क ह ह ह ह	ग्रा लेग् गरीक्षण i/नहीं)	किया		का
	45	(1)	(2)			<u> </u>												
सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति	15.	जहा, र (क)	क्या संपरीवि		्से क्रिया	कलाप किए जा है जो							अन्य हां/नर्ह		ক। ওপ	ात ह,	-	
उपयो		(ख)	यदि हाँ, तो	कुल प्राप्तियों की	तुलना में	ऐसी क्रियाकलापों से	प्राप्तियों का	प्रतिश	त				%					
सार्वजनिक		(ग)				ो प्रकृति में ऐसे क्रिय ार्यान्वयन के दौरान वि		ाम सार	र्त्रजनिक उपय	ोगिता के वि	केसी अन	य	हां/नई	ĵi .				
सामान्य		(ঘ)			-	में निर्दिष्ट किसी प्रतिष् ई क्रियाकलाप है?	फल के लिए	_ _ ए किर्स	—– व्यापार, वा	—- णिज्य या क	 गरबार	के ह	हां/नई	,ों 				

		(ङ)	र्या	दे हाँ, तो कुल	प्राप्तियों की तु ^{त्}	 तना में ऐसे क्रिया	कलाप से प्राप्तियों व	का प्रतिशत			%				
		(च)			करने की ऐसे म में की जाती		गन्य लोकोपयोगी [†]	किसी अन्य वस्तु	की ऐसी उन्नति	ो के वास्तविक	हां/नहीं				
	16.	यदि 1					बंध में ऐसे क्रियाक	——————— लापों से कुल वा	र्षिक प्राप्तियां						
		क्र.सं	· •	गरियोजना/संस	था का नाम		15क और 15घ में	निर्दिष्ट क्रियाकल	गापों से कुल वा	र्षिक प्राप्तियों की	रकम (रु. में)				
		कुल													
		(i)	क्याः	संपरीक्षिती के	पास धारा 11	की उप-धारा (4)	में निर्दिष्ट कोई क	गरबार उपक्रम है	ţ		हां/नहीं				
			यदि	हाँ, तो कारबा	र उपक्रम के नि	म्नलिखित विवरण	ा प्रदान करें:								
뉵		(ii)	(ক)	कारबार उ	पक्रम की प्रकृति	† 									
कारबार उपक्रम	17.	(11)	(ख)	कारबार के	ड										
रबार	17.		(ग)	क्या व्यापा	र उपक्रम के लि	ाए खाते की अलग	या है <टिप्पण	देखें ^>	हां/नहीं						
ᆔ			(ঘ)		लिए कारबार मेलित नहीं वि	उपक्रम से आय जि ज्या जाना है	ग्नुसार संपरी६ि	तिती की कुल	रकम रुपये में						
			(ङ)		लिए कारबार मेलित किया इ	उपक्रम से आय जि नाना है	तिती की कुल	रकम रुपये में							
8	18.	(i)				ते, धारा 10 के स सि और अभिलाभ	धारा (4क) में	हां/नहीं							
के लिए व्यापार आकस्मिक						लिखित विवरण दे					हां/नहीं				
गार आ			(क)	कारबार र्क											
ए व्या		(ii)	(ख)	कारबार क	 ोड										
के लि			(ग)	क्या कारब	 ार के लिए पृथ	———— क लेखा बहियां र	खी गई हैं<टिप्पण [े]	 देखें^>			हां/नहीं				
वस्तुओं			(घ)				 प्ति के आनुषंगिक है				हां/नहीं				
10			<u>(ङ)</u>	पूर्व वर्ष के	दौरान कारबा	र से लाभ और अ	भेलाभ				रकम रुपये में				
	19.	धारा	194ग	 या 194ञ या	194ज या 194	1थ में निर्दिष्ट संप	 ारीक्षिती की प्राप्तिय	 यों का विवरण जि	जेस पर स्रोत प	र कर काटा गया	है:				
		क्र.सं.	कटौ		रकम	स्रोत पर काटे	धारा जिसके	आ	ाय/प्राप्ति की श्रेग	गी	स्तंभ 7 या 8 में	क्या क्रियाकलाप			
रसीदों पर टीडीएस			कर्ता नाम	का तीक र्ता का टैन	जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है (रुपये में)	गए कर की रकम	अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की गई है	व्यापार, वाणिज्य या कारबार (रुपये)	किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का क्रियाकला प(रु।)	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (रु।)	आय/प्राप्ति जो संपरीक्षिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुपंगिक कारबार से है। (रुपये में)	आय/प्राप्तियों के लिए पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं, जिनका उल्लेख स्तंीा 10 में किया गया है (हां नहीं)			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
	20.				-	•)) के बाइसवें परंतु		•			हां/नही			
	21.	क्या सं	परीक्षि	ती ने पूर्व वर्ष	के लिए प्ररूप	सं. 10खघ फाईल	किया है <यदि नह	हीं तो पंक्ति 23 प	ार जाएं >			हां/नही			
	22.	पूर्व व	वर्ष के लिए संपरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10खघ में रिपोर्ट किए गए संदान का कुल योग (रकम रुपये में)												
भेदाय		संदान	ान प्ररूप सं. 10खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है / प्ररूप सं. 10खघ भरने की आवश्यकता नहीं है												
स्वैच्छिक अभिदाय	23.	(i)		क्षिती की निर् ोदित है	धे या न्यास या	संस्था द्वारा प्राप्त	संदान जो कि धार	रा 80 छ की उप	-धारा (2) के ख	iंड (ख) के अधीग	रकम रुपये में				
स्बै	20.	(ii)	80 ह				संदान जो धारा 8 की उप-धारा (2)				रकम रुपये में				

				_					
				30छ की उप-धारा (2) के खंड के उप-खंड (iv) के	(क)		र से अधिक न		रकम रुपये में
		(iii)	या संस्	अनुमोदित लेखापरीलेखापरीक्षिति की निधि या न्यास था द्वारा प्राप्त संदान और जो धारा 80छ की उप-धारा अधीन पात्र नहीं हैं	(ख)	निधि या विश्वविद्याल किसी अस्पत	संस्था या न्य य या अन्य १ गल या अन्य	ांस्था से या किसी ग्रास या किसी गैक्षिक संस्थाओं या चिकित्सा संस्था से के लिए अर्हित नहीं	रकम रुपये में
					(ग)	अन्य <प्रकृति	ने निर्दिष्ट करें>	>	रकम रुपये में
					(ঘ)	कुल (क)+(ख	ा)+(ग)		रकम रुपये में
		(iv)		जो प्ररूप संख्या 10खघ के अधीन दाता की पहचान र्क क्या जा सका	गे अनुपलव्	ब्धता के कारण	प्ररूप संख्य	ा 10खघ में रिपोर्ट	रकम रुपये में
		(v)	संदान	वस्तु के रूप में प्राप्त हुआ					रकम रुपये में
			अनुभा	ग 115खखग में निर्दिष्ट अनाम संदान					रकम रुपये में
			(क)	धारा 115खखग की उप-धारा (1) के खंड (i) के लागू अनाम संदान की रकम	ोन अकराधेय	रकम रुपये में			
		(vi)	(ख)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (क) के लागृ अनाम संदान की रकम	धीन अकराधेय	रकम रुपये में			
			(ग)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (ख) के लाग् अनाम संदान की रकम	धीन अकराधेय	रकम रुपये में			
			(ঘ)	धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय अ	न्य अनाम	संदान			रकम रुपये में
			(ङ)	रकम रुपये में					रकम रुपये में
		(vii)	कोई अ	न्य स्वैच्छिक अभिदाय जो प्ररूप संख्या 10खघ का भाग	नहीं है		रकम रुपये	में 	रकम रुपये में
		(viii)	प्ररूप र दी गई	संख्या में 10खघ [23(i)+23(ii)+23(iii)(घ) +23(iv)+2 है	23(v)+23	৪(vi)(ङ)+23(v	ˈii)] कुल संदा	न की सूचना नहीं	रकम रुपये में
	24.	पूर्व व	र्ष के दौर	ान संपरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [22+	-23(viii)]				रकम रुपये में
	25.	24 में	बताए ग	ए कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय					रकम रुपये में < अनुसूची चग भरें >
•		समग्र	का हिस्स	ा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 24 में सम्मिलित ह	हैं)				रकम रुपये में
	26.	(अ)	संदा	ा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिर न का प्रतिनिधित्व करने वाला समग्र, धारा 10 के खंड उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3क के अधीन छूट के लिए र्आ	(23ग) के				रकम रुपये में < अनुसूची समग्र भरें>
		(आ)		ा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) या धारा 10 (23ग) के लिए अर्हित है और धारा की उप-धारा (5) के अधीन f		-			रकम रुपये में < नुसूची समग्र भरें>
	27.			ान संपरीक्षिती द्वारा लागू किए जाने के लिए अपेक्षित स्वै ग़ी)+26ए+ 26बी}]		रकम रुपये में			
आय	28.	या न्य	ास या वि	र्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न स्वैच्छिक कसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या किसी अक केए गए अभिदाय से भिन्न)					रकम रुपये में
लागू होने वाली आय	29.	भारत	के बाहर	उपयोजित आय, जो धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड	(ग) के अ	धीन अर्हित है			रकम रुपये में < इंट ऐप अनुसूची भरें>
लाग्	30.	पूर्व व	र्ष के दौर	ान संपरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजित किए जाने के वि	त्रेए अपेक्षि	ात आय [27+2	8-29]		रकम रुपये में
म	31.	आय व	ना उपयो	जन (निरर्हित और क्रम संख्या 37 के अधीन रिपोर्ट किए	गए आवेद	न को छोड़कर)			
आय का आवेदन		(i)	पूर्व वर्ष रकम	ि के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपर	इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (रुपये	रकम रुपये में			

	(क)	पूर्व वर्ष	[:] के दौरान किसी अ	न्य व्यक्ति को अभि	दाय या संदान						रकम रुपये में	
		(क) में	 उपबंधित उपयोजन	ा से भिन्न उद्देश्य व	ार उपयोजन	I		I				
		(1)	धर्म								रकम रुपये में	
		(II)	निर्धन को सहाय	ता							रकम रुपये में .	
		(III)	शिक्षा								रकम रुपये में	
		(IV)	चिकित्सा सहाय	ाता							रकम रुपये में	
		(V)	योग								रकम रुपये में	
	(ख)	(VI)	पर्यावरण का संर सहित)	क्षण (वाटरशेड, वर	न और वन्य जीवन	न					रकम रुपये में .	
		(VII)	कलात्मक या ऐि वस्तुओं का संरक्ष	तेहासिक रुचि के स्प ण	मारकों या स्थानों	ं या					रकम रुपये में	
		(VIII)	मान्य सार्वजनिक	उपयोगिता के कि	सी अन्य वस्तु की	उन्नति					रकम रुपये में	
		(IX)	आवेदन जो विशे नहीं किया जा स	ष रूप से (I) से (VI कता है	III) के अधीन वर्ग	कृित					रकम रुपये में	
		(X)	कुल								रकम रुपये में	
	(ग)	कुल उप	ायोजन [(क) + (ख))(X)]							रकम रुपये में	
(ii)	(i) (क) और (i)	(ख) में से उपयोजन	न का विवरण जिस [्]	के परिणामस्वरूप	किसी व्यक्ति	क्ते व	ो 50 लाख रुपये	से अधिक	का सं	दाय हुआ।	
	क्र.सं.		उस व्यक्ति का नाम जिसे रकम संदत्त या प्रत्यय	ऐसे व्यक्ति का पैन	उपयोजन की रकम		उप	ग्योजन का ढंग			टीडीए	स
			7.11		(रुपये)			इलेक्ट्रॉनिक	l		। कोई टीडीएस	धारा जिसके
						+ इलेक्ट्रॉनि मोड	ोक	इलक्ट्रानिक मोड से भिन्न	कुल	काट	टा गया है	अधीन टीडीएस काटा गया है
						(रु.)		(₹.)		हां/ः	नहीं	गया ह
(iii)	रकम,	जो वास्त	व में पूर्व वर्ष के दौ	रान संदत्त नहीं की	गई थी [यदि (i)((सी) में समि	मलि	त है]			रकम रुपये में	
(iv)				की गई रकम रकम जन के रूप में दावा			ह दौर	ान उद्भूत हुई थी	लेकिन उ	ससे	रकम रुपये में	
(v)	उपयो	जन के रूप	ग में स्वीकृत की जा	ने वाली कुल रकम	[31(i)(π)- 31(i	ii) +31(iv)]				रकम रुपये में	
	राजस्व	ा या पूंजी	में 31 (v) में आवे	दन का विभाजन							रकम रुपये में	
(vi)	(क)	राजस्व									रकम रुपये में	
	(ख)	पूंजी									रकम रुपये में	
(vii)				स जमा की गई रक ान के रूप में दावा ग			र्घके व	द्दौरान उपयोजित	किया गय	ा था	रकम रुपये में <अ भरें>	नुसूची समग्र
(viii)	उपयो	जन के रूप	ग में दावाकृत नहीं [']		ले उपयोजित कि	या गया था	और	उस पूर्व वर्ष के दौ	रान		रकम रुपये में<अ	नुसूची ठख भरें>
उपयोज	1		की जाने वाली रक		40 à 		; \ _	+ ma 	T 11 -		1 211 1113 3 22-	
(ix)	धार	ा (1) के र	स्पष्टीकरण 3 के अध	वें परंतुक या धारा ग्रीन अनानुज्ञात योग	य रकम						रकम रुपये में <अ भरें>	नुसूचा टाडाएस
(x)			ग) के तेरहवें परंतुक करण 3 के अधीन ः	त्या धारा 40क की अनानुज्ञात रकम ,	ां उप-धारा (3) य	π (3क) के स	प्ताथ '	पठित धारा 11 र्क	ो उप-धार	T	रकम रुपये में . <अनुसूची 40क(3 40क(3क) भरें>)/अनुसूची
(i)	न्या	स या किस	नी विश्वविद्यालय य	(23ग) के उप-खंड ग अन्य शैक्षिक संस्थ	था या किसी अस्प	ाताल या अ	न्य अ	ायुर्विज्ञान संस्था ः			रकम रुपये में	
(xi)	धार	ा 11 या	12 में निर्दिष्ट किस	।। न्यास या सस्या १	कासमग्रकालए	ाकया गया	सदाः	П				

			धार	ा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को जिनका उद्देश्य समान नहीं है, किया ग	या संदान	
				ि । या । य न । नायण्ट ।कता स्थात या तत्या का ।काका उद्दर्य तनाम महा ह, ।कया ग 		रकम रुपये में
		(xiii)	न्यास	ानयम को घोरो 10 के खेड (25ग) के उप-खेड (iv), (v), (vi) यो (viक) में निदिष्ट किसी न या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञा i 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति को किया गया संदान		(A) (14)
		(xiv)		त के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक वे किया गया है	अधीन अनुमोदन प्राप्त	रकम रुपये में
		(xv)		त के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक वे ा गया है	उअधीन अनुमोदन प्राप्त	रकम रुपये में
		(xvi)	संपर्र	किती के उद्देश्य से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया		रकम रुपये में
		(xvii)	कोई	अन्य अनानुज्ञात (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		रकम रुपये में
		(xviii)	कुल	अनानुज्ञात उपयोजन [{31(v)+31(vii)+31(viii) - {31(ix) से 31(xvii) }]		रकम रुपये में
		(xix)	धारा	ा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजि	त मानी गई रकम	रकम रुपये में . < अनुसूची घझ भरें >
		(xx)		ा 10 के खंड (23ग) या धारा 11 की उप-धारा (2) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के प त आय	रंतुकों के अनुसार	रकम रुपये में <अनुसूची कग भरें >
		(xxi)	• • •	या धार्मिक उद्देश्यों या न्यास या संस्था की कथित उद्देश्यों के लिए संचित की गई या अल कि वह आय के 15% से अधिक नहीं है	ा रखी गई आय, जहां	रकम रुपये में
	32.	कराधेय	आय [3	30- {31(xviii) to31(xxi)}]		रकम रुपये में
	33.	धारा 1	15खखः	झ के अधीन कराधेय आय		
ाई		(क)		परीक्षिती के पास धारा 11 की उप-धारा (1ख) में निर्दिष्ट कोई मानित आय और ऐसी गई आय की रकम है जो धारा 115 खखझ के अधीन 30% की दर से कर के लिए प्रभार्य	हां/नहीं यदि हाँ तो अनुसूची घझ भरें	रकम रुपये में
धारा 115बीबीआई		(ख)	(3) के	परीक्षिती के पास धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक या धारा 11 की उप-धारा स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट कोई भी मानित आय है जो धारा 115बीबीआई के अधीन कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी मानी गई रकम आय?	हां/नहीं यदि हां, तो अनुसूची कग. भरें	रकम रुपये में
		-	(i)	क्या संचित आय का उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है या उसके उपयोजन के लिए संचित नहीं रह गई है या आवेदन के लिए अलग नहीं रह गई है	रकम रुपये में	रकम रुपये में
			(ii)	क्या ऐसी संचित आय धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी भी रूप या मोड में निवेशित या जमा रहना बंद हो जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
			(iii)	क्या इस तरह की संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे जमा किया जाता है या धारा 10 के खंड (23 ग) के तीसरे उपबंध के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा जाता है	हां /नहीं	रकम रुपये में
			(iv)	क्या ऐसी संचित आय धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट अन्य चिकित्सा संस्थान को जमा या भुगतान की जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ग)	(i)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जो धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाने वाली आय है जो धारा 115खखझ के अधीन 30% कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
			(ii)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के अधीन या धारा 13 के उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाना है जो धारा 115खखझ के अधीन 30% कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ঘ)	आय व	ोखापरीक्षिती की कोई आय पन्द्रह प्रतिशत से अधिक संचित या अलग रखी गई है। उस का जहां अधिनियम के किसी विशिष्ट उपबंध के अधीन इस तरह के संचय की अनुमति इ और जो धारा 115खखझ के अधीन 30% कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी आय की	हां /नहीं	रकम रुपये में

		(ङ)		गपरीक्षिती ने भारत के ग) के अधीन कुल आय		हें आवेदन किया है जिसे ध ति नहीं किया गया है	गरा 11 की उपधार	त (1)	हां /नहीं <यदि हाँ ते इंट ऐप भरें		रकम	रुपये में			
	34.	बेनामी	दान जो १	धारा 115खखग के अर्ध	ीन @ 30º	% कर के लिए प्रभार्य है					रकम	रुपये में			
		अन्य उ	ग्रय								रकम	रुपये में			
		(ক)	क्या लेख	गपरीक्षिती की धारा 1	2(2) के अ	धीन प्रभार्य कोई आय है	और ऐसी आय की	रकम		हां /नहीं	रकम	रुपये में			
अन्य आय	35.	(ख)) या खंड (ग) या खंड		ह साथ पठित धारा 11 र्व ल्लंघन करने की दशा में ध						रपये में सूची कॉ	र्पस भरें	>	
क		(ग)	खंड (क)		(ग)या ख	न साथ पठित धारा 10 के iड (घ) का उल्लंघन कर r						रपये में सूची कॉ	र्पस भरें	>	
		(ঘ)	धारा 11	। की उपधारा (4) के अ	धीन प्रभार	र्ग आय					रकम	रुपये में			
		धारा 1	l1 की उप	धारा (1क) के अधीन ह	स्तांतरित प	पूंजीगत आस्ति के ब्यौरे									
F		(1)			को स्थानांत	ह लिए न्यास के अधीन पू रित किया जाता है और				हां /नहीं	रका	म रुपये में	†		
पूंजीगत आस्ति	36.	(2)		क्या डीम्ड आवेदन क और ऐसे डीम्ड आवेद		रा 11 की उपधारा (1क) ा?	के खंड (क) के अनु	सार कि	या गया है	हां /नहीं	रका	म रुपये में	†		
<u>ज्यः</u>		(3)		को हस्तांतरित की ज	ाती है और	र्थ या धार्मिक प्रयोजन के सकल प्रतिफल जिसके वि	त्रेए इसे स्थानांतरित	त किया	जाता है?	हां /नहीं		म रुपये में			
		(4)		और ऐसे डीम्ड आवेद	न की रकम		के खंड (ख) के अनु	सार कि	या गया है	हां /नहीं	रका	म रुपये में	† 		
			र्व के दौरान	। निम्नलिखित स्रोतों से	आय का उ	पयोजन									
		(क)) के खंड (23ग) के तीस I की उपधारा (2) के अ		के अधीन या किसी भी पि त आय	lछले वर्ष के दौरा न	+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुर भरें>		
का उपयोजन	37.	(ख)		l की उपधारा (1) के स् केसी भी पूर्ववर्ती वर्ष मे		के खंड (2) के अधीन वि ो जाने वाली आय	क्सी भी पूर्व वर्ष के		इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	iड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुस् भरें>		day.
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयो		(ग)	पहले के	पिछले वर्षों की आय 1	5% तक ज	मा या अलग रखी गई		+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .)		
विभिन्न स		(ঘ)	कोर्पस					+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में :.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुस् भरें>		 स
		(ङ)	(E.)						डि इलेब् से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुस् भरें>		ì	
		(च)	कोई अन्	य (कृपया विनिर्दिष्ट करे	t)			+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .)		ì
	38.	37 में	से किसी ए	क व्यक्ति को पूर्व वर्ष वे	ь दौरान 50	0 लाख रुपये से अधिक स	दाय या क्रेडिट के प	्। ।रिणाम	स्वरुप आवेदन	<u>।</u> के ब्यौरे ।			11/		
		क्र.सं		व्यक्ति का नाम	पैन	आवेदन की रकम (रु .)			न का तरीका				टीर्ड	ोएस	
						(*)	+ इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉ भिन्न	ंनिक मोड से	कुल		क्या के टीडीए		धारा जिसके	टी डी

								मोड			काटा [:] है (हां <i>/</i> न		अधीन टीडी एस काटा गया है	ए स की र क म	
		(i)		क्या धार	ा 10 के खंड	(23ग) के	22वें परंतुक के उपबंध य	ा धारा 13 की उ	पधारा (10) के उपबंध ल	ागू हैं ?		हां /न	हीं		
					में हां है, ते गरण विनिति		के खंड (23ग) के 22वें प	ारंतुक के उपबंध य	ग्रा धारा 13 की उपधारा	(10) के उपबंध ल	ागू				
				(ক)			के परंतुक के उपबंध लाग	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				हां /न	हीं		
		(ii)		(ख)			ग) के दसवें परंतुक के खं उल्लंघन किया गया है	ड (क) में विनिर्दि	ष्ट शर्त या धारा 12क र्क	ो उपधारा (1) के	खंड	हां /न	हीं 		
				(ग)			ग) के दसवें परंतुक के खं ा उल्लंघन किया गया है	ड (ख) में विनिर्दि	ष्ट शर्त या धारा 12क र्व	ो उपधारा (1) के	खंड	हां /नहीं			
				(ঘ)	धारा 10 के खंड (23ग) के बीसवें परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (खक) के उपंखंड (ii) का उल्लंघन किया गया है दें (i) में हां है , तो कृपया धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन प्र										
					में हां है , तो संगणना प्रदा	प्रभार्य									
गरंतुक				(क)	5) पूर्व वर्ष के लिए आय										
r 22ai ^t				(ख)	लेखापरीवि	क्षेती के प्रय	ोजनों के लिए भारत में ि	केया गया कुल व्य	य,			रकम में			
आ) क					अननुज्ञात	किया जाने	वाला व्यय					,			
13 (10) और धारा 10 (23ग) का 22वां परंतुक	39				(i)		कलन वर्ष से संबंधित पूर , जिसके लिए आय की ग			स्था के खाते में जम	मा कोष	रकम रुपये में			
रधार					(ii)	किसी ः	ऋण या उधार से व्यय					रकम	रुपये में		
(10) औ					(iii)		आस्ति के संबंध में मूल्य । के रूप में दावा किया ग		धिग्रहण उसी या किसी	अन्य पूर्व वर्ष में	आय के	रकम	रुपये में		
13		(iii)			(iv)	किसी व	त्र्यक्ति को अभिदाय या व	ान के रूप में व्यय	гі			रकम	रुपये में		
					(v)	पूंजीगत	न व्यय					रकम	रुपये में		
				(ग)	(vi)		13 की उप-धारा (10) ^{हे} धारा 10 के खंड 23ग के				के साथ	<अन् टीडीए	रुपये में पुज्ञात पुस वी भरें >		
					(vii)		3 की उप-धारा (10) वे ठित धारा 10 के खंड (2					< अनु 40क(ची/ 4	रुपये में सूची 3)अनुसू 0क(3क) वी भरें>		
					(viii)	कोई अ	न्य अननुज्ञात						रुपये में		
					(ix)	अननुज्ञ	 ात किया जाने वाला कुल	व्यय (i)+(ii)+(ii	i)+(iv)+(v)+(vi)+(vii))+(viii))		रकम	रुपये में		
				(ঘ)	धारा 10 (ix)]	के खंड 23	3ग के 22वें परंतुक या ध	ग्रारा 13 की उपध	धारा 10 के अधीन कर [ः]	की प्रभार्य आय [व	त-ख+ग	रकम में	रुपये		
দ		यदि धा	ारा 80छ :	की उपधार	` /-	रे परंतुक के	अधीन लेखापरीक्षिती अ		पया निम्नलिखित ब्यौरे	प्रदान करें					
धार्मिक कार्यों के लिए उपगत व्यय	40.	(क)	क्या पूर्व	वर्ष के दौर	ान किए गए	्रव्यय की व	ोई रकम जो धार्मिक प्रवृ	ति की है और इस	। तरह के व्यय की रकम	हां /नहीं		यदि हां, तो रकम विनिर्दिष्ट करें रुपये में।			
नायों के		(ख)			ाखापरीक्षिर्त					•		रकम रुपये में			
धार्मिक :		(ग)	कुल आय	गय में धार्मिक प्रकृति के व्यय का प्रतिशत [(क)/(ख) में रकम]									%		

		धारा '		: विनिर्दिष्ट व्यक्ति* का विवरण				
	41.	धारा [.] व्यक्ति	13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट का कोड देखें ^^>	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति का आधार नंबर, यदि आवंटित किया गया हो	ऐसे व्यक्ति का पता	यदि स्तंभ (1) में कोड 2 चुना गया है तो लेखापरीक्षिती को किए गए अभिदाय की रकम निर्दिष्ट करें
	42.	धारा 1	3(2) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के ब्यौरे					
	(布)		खापरीक्षिती की आय या संपत्ति व ा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार ी		ौरान किसी भी	अवधि के लिए पर्याप्त सुरक्षा या प	र्याप्त ब्याज या दोनों	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-क भरें>
	(ख)		खापरीक्षिती की कोई भूमि, भवन र्याप्त किराया या अन्य मुआवजा 1			ग के लिए पिछले वर्ष के दौरान कि ;	सी भी अवधि के	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ख भरें >
में निर्दिष्ट व्यक्ति	(ग)	सेवाअं		ान वेतन, भत्ते या अन <mark>्</mark> यथा के रू		व्यक्ति द्वारा ऐसे लेखापरीक्षिती को ा है और इस प्रकार भुगतान की गई		हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ग भरें >
13 (3) 并 F	(ঘ)	क्या ले हैं;	खापरीक्षिती की सेवाएं पूर्व वर्ष वे	ज्दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति	को पर्याप्त पारि	श्रिमिक या अन्य मुआवजे के बिना	उपलब्ध कराई गई	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-घ भरें >
	(ङ)		ोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति । ो गई है जो पर्याप्त से अधिक है;	पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिदि	ईष्ट व्यक्ति से लेख	बापरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से	। विचार के लिए	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी- ड.1/ड.2 भरें >
	(च)		ोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति : ई है जो पर्याप्त से कम है;	नेखापरीक्षिती द्वारा या उसकी	ओर से पूर्व वर्ष	के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति व	ने प्रतिफल के लिए	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी- च1/च2 भरें >
	(ন্ত্ৰ)	क्या ले	खापरीक्षिती की कोई आय या संप	ात्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी वि	निर्दिष्ट व्यक्ति ^ह	के पक्ष में डायवर्ट की गई है		हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-छ भरें >
	(জ)		रीक्षिती की कोई निधि पिछले वर्ष विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पर्याप्त हित है		लिए निवेश की	गई है, या बनी हुई है, किसी भी स	ांबंध में जिसमें	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ज भरें >
	43.	निर्दिः	<u>. </u>					
	10.	क्य	- ा लेखापरीक्षिती ने धारा 10 ^ह ारा (4) के स्पष्टीकरण और इर				हां /नहीं	रकम रुपये में
		(क)	लेखापरीक्षिती की आय , न्यास			· .	 हां /नहीं	रकम रुपये में
निर्दिष्ट उल्लंघन		(ख)	क्या लेखापरीक्षिती के पास व्यव	ासाय के लाभ और लाभ से आय ाती द्वारा व्यवसाय के संबंध में	ा है जो उसके उ	•	हां /नहीं	रकम रुपये में
निर्दिष्ट		(ग)				जी धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक ;, जो कि लाभ के लिए सुनिश्चित	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ঘ)	जाति के लाभ के लिए अपनी अ	य का कोई हिस्सा लगाया है।		केसी विशेष धार्मिक समुदाय या	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ङ)	लेखापरीक्षिती द्वारा की जा रह नहीं की जा रही है जिनके अधी			प्तभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार	हां /नहीं	रकम रुपये में

		क्या लेखापरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, और आदेश, निर्देश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यह मानते हुए कि ऐसा गैर-अनुपालन हुआ है, या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त की।	हां /नहीं	< विधि अनुसूची भरें>
•	44.	क्या किसी आस्ति के संबंध में धारा 11 की उपधारा (6) या धारा 10 के खंड 23ग के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी मूल्यह्नास या अन्यथा का दावा किया गया है, जिसके अर्जन का दावा आय के आवेदन के रुप में किया गया है और ऐसे मूल्यह्नास की रकम	हां /नहीं	यदि हाँ तो रकम का विनिर्दिष्ट करें
	45.	धारा 10 के खंड (23ग) के उन्नीसवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (7) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें कि क्या न्यास या संस्थान ने पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के अधीन कटौती का दावा किया है [खंड (1), खंड (23ग) और उसके खंड 46 से भिन्न) और ऐसे दावे की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
	46.	क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या कोई विनिर्दिष्ट राशि ली या स्वीकार की है?	हां /नहीं	रकम रुपये में (यदि हां, तो अनुसूची 269धध भरें)
	47.	क्या लेखापरीक्षिती ने एक दिन में एक व्यक्ति से धारा 269धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम प्राप्त की है; या एकल संव्यवहार के संबंध में; या पूर्व वर्ष के दौरान एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में?	हां /नहीं	रकम रुपये में (यदि हां, तो अनुसूची 269धन भरें)
,	48.	क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम रकम पुनर्संदत्त की है	हां /नहीं	रकम रुपये में (यदि हां, तो अनुसूची 269 न भरें)
,	49.	क्या लेखापरीक्षिती से अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के उपबंधों के अनुसार कोई कर संग्रहण या कटौती अपेक्षित है?	हां /नहीं	(यदि हां, तो टीडीएस/टीसीएस अनुसूची /टीडीएस/टीसीएस का विवरण /टीडीएस/टीसीएस पर यथालागू ब्याज

प्ररुप 10 ख (अनुदेश	ा देखें) यथाला	गू अनुसूचियां भ	री जाएं											
	अनुस्	ूची कॉर्पस: कॉर्प	स के ब्यौरे											
कोष दान का प्रकार	पूर्व वर्ष के आरंभ में अतिशेष	पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त/मानि त कार्पस	पूर्व वर्ष के दौरान लागू (3)	कार्पस में पुन: जमा या निक्षेपित	कार्पस में पुन:जमा या निक्षेप	वित्तीय वर्ष जिसमें (4)	अंतिम अतिशेष (7) [(1+2+	धारा 11(5) में निर्दिष्ट मोड में	पूर्व निर्धारण वर्ष में कर	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के	यदि कार्पस वह निम्नलि	ंदान (i) खित शत) प्रकार क हैं को पूरा	ा है तो क्या करता है
	(पूर्व वर्ष के आरंभ तक कार्पस लागू नहीं) (1)	(2)		रकम (जो पूर्व में आवेदित थी परंतु जिसका दावा नहीं किया गया था यदि ऐसा आवेदन शर्ते पूरी करता हो (4)	की कुल रकम (5)	पहले लागू किया गया था (6)	5)-3]	निक्षेप (8)	लगाई गई रकम (9)	अनुसार धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोड में निक्षेप (10)	कार्पस उस उद्देश्य से भिन्न कार्पस में से उपयोजित रकम जिसके लिए स्वैच्छिक अभिदाय किया गया था।	किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान;किसी व्यक्ति को दान या अभिदाय		धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न प्ररुपो और मोडों में निक्षेप या जमा
(i) 01.04.2020 को या उसके पश्चात् 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करता है											हां /नहीं	हां <i>I</i> नहीं	हां <i>I</i> नहीं	हां /नहीं

(ii) - 01.04.2021 को या उसके पश्चात उपरोक्त (ii) से भिन्न प्राप्ति							
(iii) उपरोक्त(ii) से और (ii) से भिन्न							

अनुसूची एफसी : विदेशी अभिदाय का ब्य	गौरा	
पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्रकृति	पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम (रुपए में)	पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे अभिदाय से कुल आवेदन के ब्यौरे राशि रुपए में
(i) समग्र निधि (ii) गैर- समग्र निधि		
योग		

अनुसूची एलबी : त्र	हण और उधार के ब्यौ	रे					
पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल का आरंभिक अतिशेष	पूर्ववर्ष के दौरान उद्देश्यों हेतु आवेदनों के लिए लिया गया ऋण और उधार	पूर्ववर्ष के दौरान न्यास या संस्था की वस्तुओं के लिए किया गया आवेदन		वित्तीय वर्ष, जिसमें पहले से लागू था	में (4)	पूर्ववर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल पुन:संदाय (रुपए में)	31 मार्च को अंत अतिशेष (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)

अनुसूची उ	ग्राईएनटी एपीपी :	भारत के बा	हर लागू आय वे	ज् यौ रे						
क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम, जिसे प्रेषण किया गया है	करदाता पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो	भारत से बाहर प्रेषण की रकम, जो प्ररूप सं. 15गक में प्रस्तुत है (रुपए में)	(4) से अन्यथा भारत के बाहर प्रेषण की रकम (रुपए में)	खैराती या धार्मिक प्रयोजन जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन करने वाला देश	क्या अंतरराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें भारत इच्छुक है और इसे संपरीक्षिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है?	अगर भारत अनुमोदन वि अनुमोदन संख्या	ा के बाहर आ तेया गया है सामान्य/ विशेष	वेदन के लिए अनुमोदन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची डीआ	ई : धारा 11 की उप	-धारा (1) के स्पष्टीकरण	ा 1 के अधीन मा	ने गए आवेदन	और धारा 11 की	उपधारा (1ख) के	अधीन मानी ग	ई आय के ब्यौरे	
वर्ष, जिसमें आय को लागू माना जाता है (वि.व.)	प्ररूप 9क में दी गई तारीख (दिदि/मामा/वव)	स्तंभ 1 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के दौरान लागू मानी गई राशि	आवेदन माने जाने का कारण (क)उस वर्ष के दौरान प्राप्त न की गई आय (ख)कोई अन्य कारण	पहले से दावा किए गए माने गए आवेदन में से, आवेदन करने के लिए आवश्यक रकम	स्तंभ (5) में निर्दिष्ट रकम में से किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में कर लगाई गई रकम (अनुसूची डीए भरें)	दावा किए गए आवेदन में से, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली रकम	पूर्ववर्ष में दावा किए गए माने गए आवेदन की रकम, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू	रकम, जिसेलागू नहीं किया जा सकता था और पूर्ववर्तीवर्ष के दौरान धारा 11(1ख) के अधीन आय के रूप में माना गया	माने गए आवेदन की शेष रकम
(1) ड्रापडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे	(2)	(3)	(4) ड्रापडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे	(5)	(6)	(7) =(5)-(6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)- (7)=(10)

अनुसूची डीए: धारा	अनुसूची डीए: धारा 11 की उप-धारा (1ख) के अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों में संचित आय पर लगाए गए कर का ब्यौ रा												
		निर्धारण वर्ष, जिसमें अनुसूची डीआई के स्तंभ (4) में यथा निर्दिष्ट आय पर कर लगाया गया था विद्यमान पूर्ववर्ष से पहले के पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले विगत पांच पूर्ववर्ष											
	विद्यमान पूर्ववर्ष से पहले के पूर्ववर	र्ष से प्रारंभ होने वाले विग	त पांच पूर्ववर्ष	1									
संचयन वर्ष (वि.व.)	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष								
विद्यमान पूर्ववर्ष से													
प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच													
पूर्ववर्षों के लिए													
ड्रापडाउन उपलब्ध													
<i>कराए</i> वर्ष - वर्ष													
वष - वष													
योग													

अनुस्	्ची एसी : र	संचयन के ब्यौरे														
я. सं.	संचय न का वर्ष (वि. व.)	प्ररूप 10 प्रस्तुत करने की तारीख दिदि/मामा/ वववव	संच यन वर्ष में संच यित रकम	संच यन का प्रयो जन	पूर्वव र्ष के प्रारंभ तक खैरा ता धार्मि क प्रयो के लिए लागू रकम	उपयो जित अतिशे प (3)- (5)	किसी पूर्व निर्धा रण में कर ली एकम (अनु एसीए भरे)	आवे दन के लिए उपल ब्ध अति शेष (6)- (7)	पूर्वव र्ष संचय न से पूर्वव के रा न खैरा क प्रयों के लिए यू रकम	जिस प्रयोज न के लिए इस तरह का मंचय गया, उसके अत्य प्रयोज नों के लिए लाग् रकम (यदि लाग् हो)	धारा 12कख के अधीन रिज स्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) या उपखंड (vi) या (viक) के अधीन अनुमो दित किसी	आवे दन के लिए उपल ब्ध अति शेष रकम (8) – (10) – (11)	(12) में से धारा 11(5) में विनिर्दि ष्ट रीति में विनिधा नित या जमा की गई	(12) में से धारा 11(5) में से अन्यथा विनिर्दि ष्ट रीति में विनिधा नित या जमा की गई रकम (यदि लागू हो)	रकम , जो संच की अव धि के दौ न उप नहीं की गई है (यदि लागू	धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन मानी जाने वाली आय की रकम (यदि लागू हो) (10)+(11)+(1 4)+(15)

										न्यास या संस्था को प्रत्ययि त या संदत्त रकम (यदि लागू हो)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अंतिम सात वित्ती य वर्षों के लिए ड्रापडा उन उपल ब्ध कराए योग															

निर्धारण वर्ष, जिसमें इस रकम पर कर लगाया गया था विद्यमान पूर्ववर्ष से पूर्वत्तर पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्ष का ड्राप उपलब्ध कराए संचयन का वर्ष वर्ष - वर्ष वर्ष - वर्ष वर्ष - वर्ष वर्ष - वर्ष											
संचयन का वर्ष (वि.व.)	वर्ष - वर्ष										
वर्तमान पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्षों के लिए ड्रापडाउन उपलब्ध कराए वर्ष - वर्ष											

अ	अनुसूची एसपी-क: क्या संपरीक्षिती की आय या संपत्ति का कोई भाग पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया गया है, या दिया जाना जारी है ?														
क्र.	.सं.	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट व्यक्ति	विवरण		सुरक्षा का	विवरण		ब्याज का विवरण						
		व्यक्ति का	का स्थायी	उधार दी गई	रकम, जिसके लिए आय या संपत्ति	सुरक्षा	सुरक्षा	पर्याप्त	ब्याज की	ब्याज					
		नाम	खाता संख्यांक	आय या	पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी अवधि	की	का	सुरक्षा का	वास्तविक दर, जो	की					
				संपत्ति की	के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दी	प्रकृति	मूल्य	मूल्य	भारित की जाती	पर्याप्त					
				प्रकृति	गई है या उधार दिया जाना जारी है				है	दर					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
`		` '		, ,		, ,	, ,	, ,	, ,	, ,					

अनुसूर्च	ो एसपी-ख :	संपरीक्षिती की	। भूमि, भवन य	ा अन्य	संपत्ति का विवरण, जो पृ	र्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व	यक्ति के उपय	गेग के लिए	पूर्ववर्ष के	दौरान उपल	व्ध कराया
गया है	या जारी है :										
क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति	निर्दिष्ट व्यक्ति का	आस्ति का वि	वरण		ग्रास्ति पूर्ववर्ष के दौरान योग के लिए उपलब्ध र्ह कै	पूर्ववर्ष के विवरण	किराए का	पूर्ववर्ष का विव	के लिए अन् रण	य प्रतिकर
	का नाम	स्थायी खाता संख्या	संपत्ति की प्रकृति	पता	से दिदि/मामा/वव	२ २ तक दिदि/मामा/वव	किराए की रकम	पर्याप्त किराया	प्रकृति	प्रतिकर की रकम	पर्याप्त प्रतिकर
(1)	(2)	(3)	(4) <भूमि/	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			भवन/								

		i					
		अन्य					1
		संपत्ति>					i
							ı

अनुसू ^र का वि	**	र्भ के दौरान उनके द्वारा प्रदान व	की गई सेवाओं के लिए संपरीक्षिती ^{हे}	के संसाधनों में से निर्दिष्ट व्यक्ति को भु	गतान किए गए	वेतन, भत्ते या अन्यथा
			निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति		दाय का ब्यौरा संदाय की रकम (रुपये में)	सेवाओं के लिए उचित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				< वेतन/भत्ता/अन्यथा (कृपया		
				निर्दिष्ट करें)>		

अनुसूर	नुसूची एसपी-घ : पूर्ववर्ष के दौरान संपरीक्षिती की सेवाओं का ब्यौरा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है ?													
豖.			सेवाओं व	ा ब्यौरा	पूर्ववर्ष के पारिश्रा	मेक का ब्यौरा	पूर्ववर्ष	र् <u>व</u> के प्रतिकर का ब्यौ	रा					
सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक	कराई गई	*	सेवा के लिए पारिश्रमिक की वास्तविक रकम	सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक	सेवा के लिए प्रतिकर की प्रकृति	सेवा के लिए प्रतिकर की वास्तविक रकम	पर्याप्त मुआवजा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					

अनु	अनुसूची एसपी-ङ 1: पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति से संपरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से खरीदा गया किसी शेयर, प्रतिभूति का ब्यौरा है ?												
71			खरीदी गई		शेयर या प्रतिभूति का ब्यौरा				अन्य चल संपत्ति का ब्यौरा				
सं.	नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संपत्ति की प्रकृति	उस कंपनी/ संस्था का नाम, जिसके	दौरान	प्रत्येक शेयर/ प्रतिभूति की कीमत	प्रतिभूति में संदत्त कुल		प्रकृति	खरीदी गई संपत्ति की संख्या		पूर्ववर्ष के दौरान संपत्ति के लिए संदत्त कुल प्रतिफल	पर्याप्त प्रतिफल
			<शेयर/ प्रतिभूति/ अन्य संपत्ति >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अनुसू	अनुसूची एसपी - ङ 2 ∶ अन्य चल संपत्ति की दशा में ब्यौरे												
क्र.सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी	आस्ति का प्रकार	संपत्ति का	क्षेत्रफल (वर्ग	स्टैंप शुल्क	प्रतिफल का	ब्यौरा					
	का नाम	खाता संख्यांक		पता	फुट में)	मूल्य	आस्ति के लिए संदत्त	आस्ति के लिए					
					3/5 11)		प्रतिफल की रकम	पर्याप्त प्रतिफल					
			< भूमि/ आवासीय/										
			वाणिज्यिक संपत्ति										
			आदि)>										

अ	अनुसूची एसपी - च1 -: किसी शेयर, सुरक्षा का विवरण पिछले वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को न्यास या संस्था द्वारा या उसकी ओर से किए गए विक्रय ?													
	विनिर्दिष्ट	विनिर्दिष्ट	विक्रय की	शेयर या सुरक्ष	ा का विवरण				चला	यमान अन्य सं	ांपत्ति का	विवरण		
क्र सं			गई गई संपत्ति की	नाम या कंपनी जिसके	के दौरान	प्रत्येक शेयर या प्रतिभूति की कीमत	3	सुरक्षा के लिए पर्याप्त	संपत्ति	विक्रय की गई चल संपत्तियों की संख्या	संपत्ति की	पिछले वर्ष के दौरान संपत्ति के लिए कुल	पर्याप्त प्रतिफल	

				किए जाते हैं	की संख्या							प्रतिफल	
			< शेयर / सुरक्षा / अन्य संपत्ति >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अनुर	अनुसूची एसपी - च 2: अन्य संपत्ति के अचल होने के मामले में विवरण:												
	विनिर्दिष्ट व्यक्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति आस्ति का प्रकार आस्ति का क्षेत्रफुल (वर्ग स्टाम्प ड्यूटी विचार का विवरण												
क्र.	का नाम	का पैन		पता	फुट में)			आस्ति के लिए					
सं.							प्रतिफल की राशि	पर्याप्त प्रतिफल					
			< भूमि/आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति										
			आदि>										

अनुसूच	अनुसूची एस पी – छ : किसी भी आय या संपत्ति का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में अपयोजन किया गया है												
		विनिर्दिष्ट व्यक्ति	अपयोजित की गई आय या	संपत्ति का विवरण									
सं.	संपत्ति का अपयोजन किया गया है			आय या संपत्ति का मूल्य जो अपयोजित किया जाता है (रुपए में)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									

अनु है	अनुसूची ज : किसी भी निधि का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समुत्थान में विनिधान किया गया है, या बना हुआ है, जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति का पर्याप्त ब्याज है												
	उस समुत्थान का विवरण जिसमें निधि विनिधान किए जाते हैं, या बने रहते हैं पर्याप्त ब्याज का विवरण												
क्र सं.	ात्तम(आग अग		समुत्थान का पता	ऐसी राशि जो वर्ष के दौरान समुत्थान में विनिधान की जाती है या बनी रहती है (रुपये में)	पिछले वर्ष के विनिधान की ता/माह/वर्ष से	अवधि	की प्रकृति	वर्ष के दौरान विनिधान से आय	समुत्थान में पर्याप्त व्याज रखने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	पर्याप्त ब्याज की प्रकृति		
	< कंपनी / अन्य >												

अनुसू	अनुसूची अन्य विधि उल्लंघन											
क्र. सं.	विधि का नाम जिसके अधीन गैर-अनुपालन उद्भूत हुआ है	अननुपालन की प्रकृति	आदेश, निर्देश या डिक्री की तारीख, यह मानते हुए कि ऐसा अननुपालन हुआ है	क्या आदेश, निर्देश या डिक्री, किसी भी न्यायालय या अपीलीय मंच के समक्ष विवादित रहा है		क्या संपरीक्षिती के पक्ष में विवाद को अंतिम रूप दिया गया है						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						

=	अनुसूची टीडीएस को नामंजूर किया जा सकता है: धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप- धारा (1) के अधीन अनुमेय राशि को नामंजूर किया जा सकता है:												
(क) भुगतान का विवरण जिस पर कर की कटौती नहीं की जाती है													
भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								

(ख) भुगतान का विव	(ख) भुगतान का विवरण जिस पर कर कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है												
भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने बाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता	कटौती की गई कर की राशि	जमा की गई (7) राशि, यदि कोई हो						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						

	अनुसूची 40क(3): धारा 40 क की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन राशि का विवरण नामंजूर किया जा सकता है।							
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति (रुपए में)	पाने वाले का विवरण				
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता		

अनुसूची 40व विवरण	अनुसूची 40क(3क): धारा 40 क की उप-धारा (3 क) के साथ पठित धारा 10 (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नामंजूर राशि का विवरण						
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	राशि	प्रकृति	पाने वाले का विवरण			
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता	

_	मनुसूची 269धन : एक दिन में किसी व्यक्ति से, धारा 269ध न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त राशि का विवरण; या एकल लेनदेन के संबंध में; या पिछले वर्ष के ग़ैरान किसी व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में?											
पाने वाले का विवरण			रण	लेन-देन का विवरण			प्रतिसंदाय का तरीका					
क्र. सं.	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण जमा कोई विनिर्दि अग्रिम	या या हेष्ट	राशि	कृपया रसीद की रीति विनिर्दिष्ट करें [चेक या वैंक ड्राफ्ट द्वारा या वैंक खाते या किसी अन्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करकें]	चाहे खाता पाने वाले, यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा?	क्या चुकता किया गया है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या अन्य रीति से	क्या पाने वाले खाता चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है?

अ	नुसूची 269 न : पिछले वर्ष के दौरान धारा 269 न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण या जमा या किसी भी विनिर्दिष्ट अग्रिम के प्रतिसंदाय का विवरण?											
	पाने	वाले का विव	त्ररण				लेन-देन का विव	ारण			प्रतिसंदाय का तरीका	
क्र.	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण जमा कोई विनिर्दि अग्रिम	या या हेष्ट	राशि	कृपया रसीद की रीति विनिर्दिष्ट करें [चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते या किसी अन्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके]	वाले खाता,	क्या चुकता किया गया है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या अन्य रीति	चेक या बैंक ड्राफ्ट

अनुसूची टी	डीएस/टी	सीएस							
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा	भुगतान की प्रकृति	स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान या प्राप्ति की कुल राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती करना आवश्यक था या (4) में से एकत्र किया जाना आवश्यक था	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई थी या विनिर्दिष्ट दर पर एकत्र किया गया था	(6) में से कटौती किए गए या एकत्रित कर की गई राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई या (7) में से विनिर्दिष्ट दर से कम पर एकत्र किया गया।	(8) पर कटौती किए गए या एकत्र किए गए कर की राशि	कटौती किए गए या एकत्रित किए गए किंतु (6) और (8) में से कर की राशि केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा नहीं की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस का विवरण							
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	यदि प्रस्तुत किया गया है, तो प्रस्तुत करने की तारीख	क्या कटौती किए गए गए या एकत्र किए गए कर के विवरण में उन सभी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिन्हें रिपोर्ट करना आवश्यक है			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज			
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा 201 (1 क) या 206 ग (7) के अधीन ब्याज की राशि देय है।	स्तंभ से भुगतान की गई राशि (2)	भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 10ख के लिए टिप्पण

- 1. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य चिकित्सा संस्थान या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्थान इस प्ररूप में " संपरीक्षिती " के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 2. धारा 13 की उपधारा)3) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 3. *क्रम संख्या 6 में, वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चय किया गया है और जिसे नियम 17कक के उप-नियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे समाधान के सात दिनों के भीतर लिखित में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया गया है;
- 4. **क्रम संख्या 9 में, उस धारा के लिए जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित या अनंतिम रूप से अनुमोदित है, निम्नलिखित कोडों में से एक का चयन किया जाएगा (सभी रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन या अन्तिम अनुमोदन या अधिसूचना का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान मान्य हैं, उपबंध किया जाना चाहिए, तथापि जहां संपरीक्षिती को रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन मिला है, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के बाद अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है:

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (क)	1
(2)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ख)	2
(3)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ग)	3
(4)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	4
(5)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	5
(6)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	6
(7)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ii)	7
(8)	अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (iiक)	8
(9)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (iii)	9
(10)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	10
(11)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	11
(12)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	12
(13)	कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	13

5. # पंक्ति 10 (क) में, स्तंभ (2) में संबंध के लिए निम्नलिखित कोडों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	लेखक	1
(2)	संस्थापक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	समाज के सदस्य	5
(6)	शासी परिषद के सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारकों के पास 5% या अधिक शेयरधारिता है	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

6. ##क्रम संख्या 10 (क), स्तंभ (5) में, और क्रम संख्या 10 (ख) में, स्तंभ (4) में, आईडी कोड के स्थान पर निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार नंबर उपलब्ध है, तो इसे आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए:

पहचा	न का प्रकार	कोड
पैन		1
आधार	र संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन या आधार उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या व्यक्ति कहाँ रहता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालक विज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

7. \$ क्रम संख्या 11 में, संपरीक्षिती के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:

क्र.	वस्तु	कोड
सं.		
(1)	धार्मिक	1
(2)	निर्धन को अनुतोष	2
(3)	शिक्षा	3
(4)	चिकित्सा अनुतोष	4
(5)	योग	5
(6)	पर्यावरण का संरक्षण (वाटर-शेड, वन और वन्यजीव सहित)	6
(7)	संस्मारकों या कला अथवा ऐतिहासिक रुचि के स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण	7
(8)	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किन्हीं अन्य वस्तुओं का संवर्द्धन	8

8. \$\$ क्रम संख्यांक 14(ii) के स्तंभ (2) में, एक या अधिक कोड का चयन किया जाएगा :

क्र.सं.	नियम 17कक में दिए गए अनुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की प्रकृति	कोड
(1)	रोकड़ बही	1
(2)	खाता बही	2
(3)	जर्नल	3
(4)	बिलों की प्रतियां, चाहे मशीन संख्यांकित हों या अन्यथा क्रमांकित हों, जहां कहीं भी ऐसे बिल निर्धारिती द्वारा जारी किए जाते हैं, और निर्धारिती द्वारा जारी किए गए मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमांकित रसीदों की प्रतियां या काउंटरफॉइल	4
(5)	मूल बिल, जहां कहीं व्यक्ति को जारी किए गए और व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में रसीदें	5

(6)	कोई अन्य बही, जिसे व्यक्ति के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करने के	6
	लिए बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है	
(7)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार उपक्रम के लिए क्रम संख्यांक 1 से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	7
(8)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार उपक्रम से भिन्न निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के लिए, क्रम संख्यांक 1	8
	से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	
(9)	व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं और संस्थाओं का अभिलेख, जिसमें उनके नाम, पते और प्रयोजनों का विवरण हो	9
(10)	नियम 17कक(1)(घ)(ii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख	10
(11)	नियम 17कक(1)(घ)(iii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान आय में से आय आदि के उपयोजन का अभिलेख	11
(12)	नियम 17कक(1)(घ)(iv) के अनुसार वर्तमान पूर्ववर्ष से पहले के किसी पूर्ववर्ष की आय में से आय के उपयोजन का अभिलेख	12
(13)	नियम 17कक(1)(घ)(v) के अनुसार विनिर्दिष्ट निर्देश के साथ कि वे समग्र निधि का भाग होंगे, किए गए स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख	13
(14)	धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के	14
	प्रयोजन के लिए प्राप्त अभिदाय का अभिलेख, जिसे नियम 17कक(1)(घ)(vi) के अनुसार समग्र निधि के रूप में माना जा रहा है	
(15)	नियम 17कक(1)(घ)(vii) के अनुसार ऋण और उधार का अभिलेख	15
(16)	नियम 17कक(1)(घ)(viii) के अनुसार संपत्तियों का अभिलेख	16
(17)	नियम 17कक(1)(घ)(ix) के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख	17
(18)	नियम 17कक(1)(घ)(x) के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज, जिनमें कोई अन्य सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट हो ।	18

- 9. ^क्रम संख्यांक 17(ii)(ग) और 18(ii)(ग) में, कारबार उपक्रम या प्रयोजनों के आनुषंगिक कारबार के लिए यथा अनुयोज्य प्ररूप 3गक या 3गख में तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा संपरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करें (अपलोड सुविधा ई-फाइलिंग उपयोगिता प्रदान करेगी)।
- 10. + आयकर नियम, 1962 के नियम 6ककखक में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ढंग निम्नलिखित ढंग होंगे :
 - क. क्रेडिट कार्ड ;
 - ख. डेबिट कार्ड ;
 - ग. नेट बैंकिंग ;
 - घ. आईएमपीएस (तत्काल संदाय सेवा) ;
 - ङ. यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ;
 - च. आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) ;
 - छ. एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) ; और
 - ज. भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे ;
- 11. ^^क्रम संख्यांक 41 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित एक या अधिक कोड का चयन करें :

क्र.सं.	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास का लेखक या संस्था का संस्थापक ;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति, जिसने न्यास या संस्था को पर्याप्त अभिदाय किया है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति, जिसका सुसंगत पूर्ववर्ष के अंत तक कुल	2
	अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	
(3)	जहां ऐसा लेखक, संस्थापक या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुटुंब का सदस्य है;	3
(4)	संस्था के किसी न्यास का न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;	4
(5)	पूर्वोक्त किसी भी ऐसे लेखक, संस्थापक, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार ;	5
(6)	कोई भी समुत्थान, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का पर्याप्त हित है।	6

- 12. किसी सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी, डाक घर बचत बैंक द्वारा प्राप्ति या उसको संदाय की दशा में या धारा 269धध में निर्दिष्ट संव्यवहारों की दशा में या अधिसूचना सं0 का.आ. 2065(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में, अनुसूची 269धन में विशिष्टियां दिए जाने की आवश्यकता नहीं है;
- 5. मूल नियम में, प्ररूप सं0 10खख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

'प्ररूप सं. 10खख

[नियम 16गग और नियम 17ख देखिए]

किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) या किसी न्यास या संस्था, जिसे धारा 12क के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। *मैंने/हमने [निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान का नाम] के तुलन पत्र की के रूप में परीक्षा कर ली है और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाता उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखे गए खाते बहियों के अनुरूप है। *मैंने/हमने *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए *मेरी/हमारी राय में, उपाबंध की पंक्ति 11 में उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के रजिस्टीकत कार्यालय में खाता बहियों का उचित रखरखाव किया गया है: *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपाबंध में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं, जो निम्नलिखित टिप्पणियों या विशेषताओं के अधीन हैं, यदि कोई हो-(क) (ख)..... *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त खाते निम्नलिखित मामलों में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं-(i) तुलन पत्र के मामले में, ऊपर नामित * निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामलों की स्थिति को; और (ii) आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाते के मामले में, को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में उसकी आय और उपयोजन /लाभ या हानि। निम्नलिखित टिप्पणियों/योग्यताओं के अधीन-(क) (ख) (ग) विहित विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं। स्थान : तारीख:

हस्ताक्षरित लेखाकार †

नाम

सदस्यता संख्या

पता

टिप्पण :

- 1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
- 2. † यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है।
- जहां इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले का नकारात्मक या विशेषता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

						उपाबंध विशिष्टियो का कथ	ग न						
	1.	लेखापरी	क्षिती का	पीएएन						АВ	C D E 1	2 3 4 F	
	2.	लेखापरी	क्षिती का	नाम									
	3.	निर्धारण	: वर्ष										
वरण	4.	पूर्व वर्ष									m m y y y	у	
मूल विवरण										से			
		d d										у	
	5.	लेखाप	रीक्षिती क	ा रजिस्ट्रीकृत पता									
	6.	अन्य पते	ा, यदि ला	गु हों						< टिप्पण नि	ोर्दिष्ट करें *>		
विधिक	7.	लेखाप	रीक्षिती का	प्रकार						न्यास 🏻	ो सोसाइ 🔲 क टी	म्पनी 🔯 ः	अन्य 🗓
मि	8.	क्या ले	बापरीक्षिती	किसी लिखत के अ	धीन गठित है ?					हाँ /नहीं			
	9.			स्थापकों/सेटलर/न्य क्षिती के पदाधिका		यों/शासी परिषद के सदः	म्यों/निदेश -	क/शेयरध	ारकों के 5%	या अधिक शेय	रधारिता का विवरण	/ पूर्व वर्ष के दौरा	न किसी
		व्यक्ति क		सम्बन्ध	शेयरधारक की दशा	विशिष्ट पहचान	आई डी	कोड	पता		 पूर्व वर्ष के दौरान सम्ब	ान्ध में क्या कोई	यदि
				< टिप्पण निर्दिष्ट करें		संख्या	<	टिप्पण		परिवर्तन हुॐ हाँ /नहीं	॥ ह ?		हाँ, तो
				#>			निर्दिष्ट	करें					परिव र्तन
							##>						विनि र्दिष्ट
													नरें करें
ग्न		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)			(8)
प्रबंधन		(ख) [पंक्ति 9(क)में यथा उल्लिखित] किसी व्यक्ति के व्यष्टिक न होने की दशा में , पूर्व वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें, जो इसे व्यक्ति के (5% या अधिक) फायदाग्राही स्वामी हैं											
		क्र. सं.		नाम	विशिष्ट पहचान	आई डी कोड	पता	[पंक्ति	9(क)में	फायदाग्राही	स्वामित्व का	संपरीक्षा के	यदि
					संख्या	< टिप्पण निर्दिष्ट करें ##>			ल्लिखित]	प्रतिशत		पूर्व वर्ष के दौरान क्या	हाँ, तो
						11 mm2		कोई व्यष्टिक				कोई परिवर्तन हुआ	परिव र्तन
								व्यक्ति, फायदा				है	विनि
								स्वामि है	त्व धारित			हाँ /नहीं	र्दिष्ट करें
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)	(9)
	10.	(i)		बापरीक्षिती को अ ारम्भ हुए हैं	नंतिम रजिस्ट्रीकरण या	अनंतिम अनुमोदन प्रदान	किया गय	ग्रा है, क्या	क्रियाकलाप	पूर्व वर्ष के	हाँ /नहीं		
गुरुआत		(ii)	यदि 10	(i) <i>में हाँ है तो</i> , ी	क्रियाकलापों के आरम्भ ह	ोने की तारीख					d d m m	у у у у]
गतिविधियों की शुरुआत		(iii)			तो क्या धारा 12क की						हाँ /नहीं		
तेविधिर		(:)			10 के खंड (23ग) पह				इल किया ग	या है?			
गि		(iv)	याद 10	(॥) महाहता,	रजिस्ट्रीकरण या अनुमो	दन कालए उपयाजन	काताराख				d d m	m y y y	/ у
र इं	11.	(i)		-	दस्तावेजों को लेखापरीर्ा बनाए रखा गया है?	क्षेती द्वारा नियम 17कव	क के अधीन	यथा वि	हेत प्ररूप अं	ौर रीति में	हाँ /नहीं		
बहियाँ जाते है		(ii)	यदि उपरं	रोक्त (i) हां है , तो व	म्या लेखा बहियों का रर	बरखाव रजिस्ट्रीकृत का	र्यालय में वि	केया जात	т है?		हाँ /नहीं		
ॉलेखा ारखे		(iii)	यदि ऊपः	र (ii) में नहीं है, तो	रजिस्ट्रीकृत स्थान के अ	लावा किसी अन्य स्थान	के बारे में ि	नेम्नलिखि	ात विवरण प्र	दान करें जहां व	नेखा बहियां रखी जात	ती हैं	
रि जह [े] स्तावेज			(ক)	ऐसे स्थान का पत	ा जहां बहियां रखी जात	ती हैं ————————————————————————————————————							
स्थान के ब्यौरे जहाँ लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं			(ख)	प्रबंधन द्वारा ऐसे	स्थान पर खाता रखने के	निर्णय की तारीख					dd/mm/yyyy		
स्थान			(ग)	नियम 17कक के स्थान पर रखे गए	उप-नियम (3) के परंतुक चैं	के अंतर्गत निर्धारण अधि	कारी को	सूचना देने	ो की तारीख	कि खाते ऐसे	dd/mm/yyyy		

12. क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 10खघ दाखिल किया है <यदि नहीं तो क्रमांक 14 पर जाएं> हाँ /नहीं 13. पूर्व वर्ष के लिए लेखापरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10 खघ में प्रस्तुत दान का कुल योग (रकम रुपए में) 14. दान प्ररूप संख्या 10 खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है/ प्ररूप संख्या 10 खघ भरने की आवश्यकता नहीं है रकम रुपए में 15. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [13+14]] रकम रुपए में 16. 15 में बताया गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय 17. समग्र निधि का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल हैं) 18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है रकम रुपए में 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय यो अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
14. दान प्ररूप संख्या 10 खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है/ प्ररूप संख्या 10 खघ भरने की आवश्यकता नहीं है 15. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [13+14)] 16. 15 में बताया गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय 17. समग्र निधि का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल हैं) 18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] 21. धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक 15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
15. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [13+14)] रकम रुपए में 16. 15 में बताया गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय 17. समग्र निधि का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल हैं) 18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक 15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
16. 15 में बताया गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय 17. समग्र निधि का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल हैं) 18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] 21. धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक 15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है रकम रुपए में 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है रकम रुपए में 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] रकम रुपए में धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निर्धि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है रकम रुपए में 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है रकम रुपए में 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] रकम रुपए में धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निर्धि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
18. बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है रकम रुपए में 19. भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है रकम रुपए में 20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] रकम रुपए में धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निर्धि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
20. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)] रकम रुपए में धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट 21. किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
21. किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या	
अन्य चिकित्सा संस्था की आय	
22. पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजन के लिए अपेक्षित आय [20+21]	
23. आय का उपयोजन (क्रम संख्या 27 के अधीन अपात्र और रिपोर्ट किया गया उपयोजन को छोड़कर)	
(i) पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित कुल रकम रक्म रुपए में	
(ii) रकम जो वास्तव में पूर्व वर्ष के दौरान संदाय नहीं की गई थी [यदि (i) में शामिल है] रकम रुपए में	
(iii) पूर्व वर्ष के दौरान वास्तव में संदाय की गई रकम जो किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित हुई थी लेकिन पूर्ववर्ती रकम रुपए में पूर्व वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में दावा नहीं की गई थी	
(iv) उपयोजन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम [23(i)-23(ii) +23(iii)] रकम रुपए में	
(v) समग्र निधि में निवेश की गई या वापस जमा की गई रकम जिसे किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित किया रकम रुपए में राया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था	
(vi) पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुन:संदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन रकम रुपए में के रूप में दावा नहीं किया गया था	
उपयोजन से अननुज्ञात की जाने वाली रकम	
(vii) धारा 10 के खंड (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (झक) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुज्ञेय रकम	ात भरें ➤
(Viii) धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40क की उप-धारा (3) या (3क) के साथ पठित धारा 11 की उप- धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुजेय रकम,	नूची 40 क(3 क)
अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या त्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को समग्र निधि के लिए दान अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या रकम रुपए में न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या	
अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या रिकम रुपए में न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान जिसके वही उद्देश्य नहीं हैं	
अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या (xi) न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान से भिन्न किसी व्यक्ति को दान	
(xii) भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं रकम रुपए में किया गया है	
ري:::) भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त	
(xiii) किया गया है	
1 (XIII)	
(XIII) किया गया है	
(XIII) किया गया है (XiV) ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया रकम रुपए में	
(XIII) किया गया है (XiV) ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया रकम रुपए में (XV) कोई अन्य अननुज्ञेय रकम रुपए में	
(xiii) किया गया है (xiv) ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया रकम रुपए में (xv) कोई अन्य अननुज्ञेय रकम रुपए में (xvi) कुल अनुज्ञेय उपयोजन [{23(iv)+23(v)+23(vi) - {23(vii) से 23(xv)}}] रकम रुपए में	

			आय के 15% से	 अधिक नहीं है								
	24.	कराधेय आय	22- [23(xvi) से	23(xix)]				रकम रुप	पए में			
	25.	धारा 1	15खखझ के अर्ध	ीन कराधेय आय				रकम रुपये	में			
	26.	रकम रुपये में 26. अनाम संदान जो धारा115 खखग के अधीन @30% कर के लिए प्रभार्य है										
		पूर्व वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से आय का उपयोजन							रकम रुपये में			
_		(क)	किसी पूर्व वर्ष (2) के अधीन	कुल रक (रु.)								
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयोजन		(ৰ)	(ख) िकसी पूर्व वर्ष के दौरान धारा 11 की उपधारा (1) के <i>स्पष्टीकरण 1 के</i> खंड (2) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उपयोजित समझी गई आय (ग) पूर्वतर पूर्व वर्ष की आय 15% तक संचित या अलग रखी गई									
मोतों से आय	27.	(ग)										
विभिन्न क		(ঘ)	समग्र अंश		कुल रकः (रु.)	н						
-				(ड.)	ड.) उधार ली गई निधि					कुल रक (रु.)	म	
		(च)	कोई अन्य (कृ	पया विनिर्दिष्ट करें)				कुल रक	म			
		000		रे ** धारा 13 की उपधारा (3)	» cca			(रु.)				
	28.	धारा 1: (3)में र् का कोड	3 की उपधारा नेर्दिष्ट व्यक्ति	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति की आधार संख्या ,यदि आबंटित की गई हो	ऐसे व्यक्ति व	न पता	यदि संत्भ (1) में व चयनित किया गय संपरीक्षिती को वि अभिदाय की रकम	n है तो हए गए		
	29.	धारा 13	3(2) में निर्दिष्ट आ	 य/संपत्ति के ब्यौरे								
	(क)	क्या संप	 गरीक्षिती की आय प्त ब्याज या दोन	हां /नहीं	ं यदि हां, तं में	ो रकम रुप						
क्त	(ख)	विनिर्दि	परीक्षिती की को ष्ट व्यक्ति के उपय रहती है	हां /नहीं	ं यदि हां, तं में	ो रकम रुपरं						
113 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति	(ग)	में कोई	वेनिर्दिष्ट व्यक्ति व रकम संपरीक्षिर्त सी सेवाओं के वि	हां /नहीं	ं यदि हां, तं में	ो रकम रुपरं						
113 (3) ¥	(ঘ)		गरीक्षिती की सेव उपलभ्य की जा	⊓एं किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्र सकती है	ार्याप्त पारिश्रमि	क या अन्य प्रतिकर के बिना	पूर्ववर्ष के	हां /नहीं	ं यदि हां, ते में	ो रकम रुप		
	(ड.)			को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य पूर्ववर्ष के दौरान खरीदी जाती ह		से अधिक प्रतिफल के लिए,	संपरीक्षिती	हां/ नहीं	ं यदि हां, तं में	ो रकम रुपरं		
	(च)			को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य र्य के दौरान बेची जाती है	— । संपत्ति पर्याप्त	———— से कम प्रतिफल के लिए संप	—— ारीक्षिती द्वारा	हां/ नहीं	ं यदि हां, तं में	ो रकम रुपर		
	(ন্ত্ৰ)	क्या संप है	परीक्षिती की को	ई आय या संपत्ति किसी विनिर्दि	ष्ट व्यक्ति के पक्ष	में पूर्ववर्ष के दौरान अपयो	जित की जाती	हां /नहीं	ं यदि हां, तं में	ो रकम रुपरं		
	(ज)			ाई निधि, पूर्ववर्ष के दौरान किर्स समें कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति सारव			हेत की जाती	हां /नहीं	यदि हां, तं में	ो रकम रुपरं		
	30.	क्या सं के स्पष्टी	परीक्षिती ने धार करण में यथा वि	 रा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें प वेनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन या ऐसे उ		 करण 2 या धारा 12कख र्क म उपगत की है ।	ो उपधारा (4)	हां /नहीं	रकम रु. मे	j		

	(क)	संपरीक्षिती की आय न्यास या संस्था के उद्देश्यों से भिन्न उपयोजित की गई है	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(ख)	क्या संपरीक्षिती के पास कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है या संपरीक्षिती द्वारा कारोबार के बाबत पृथक लेखा बहियां नहीं रखी गई है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है ।	हां /नहीं	रकम रु. में
	(π)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)में निर्दिष्ट संपरीक्षिती ने प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है, जो जनता के फायदे सुनिश्चित नहीं करता है	हां /नहीं	रकम रु. में
	(ঘ)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)में निर्दिष्ट, संपरीक्षिती ने, किसी विशिष्ट समुदाय या जाति के फायदे के लिए अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है	हां नहीं	रकम रु. में
	(ड.)	क्या संपरीक्षिती दवारा किए जा रहे कोई क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे है जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(च)	क्या संपरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और आदेश, निदेश या डिक्री चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाता हो, की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है, यह मानते हुए कि ऐसा अननुपालन हुआ है या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त कर ली है	हां/ नहीं	रकम रु. में
31.	क्या मूर निबंधन गया है	ल्यह्रास या अन्यथा का कोई दावा किसी आस्ति के बाबत धारा 10 के खंड (23ग) के स्पष्टीकरण के ों में किया गया है जिसका अर्जन आय के उपयोजन और ऐसे मूल्ह्रास की रकम के रुप में दावाकृत किया ?	हां/ नहीं	यदि हाँ तो रकम विनिर्दिष्ट करें
32.	क्या सं है	परीक्षिती को अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार कर कटौती या संग्रह करना अपेक्षित		नुसूची टीडीएस/टीसीएस र टीडीएस/टीसीएस पर

अनुसूची भरे जो लागू हे	अनुसूची भरे जो लागू हो अनुदेशों को निर्दिष्ट करें < प्ररुप10 खख>											
अननुज्ञेय टीडीएस अनुसूची:धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक और धारा 11 की उपधारा के अधीन अस्वीकार्य रकमों और अननुज्ञेय रकमों के ब्यौरे												
(क) संदाय के ब्यौरे जिस पर कर नहीं काटा गया है												
संदाय की तारीख संदाय की रकम संदाय की प्रकृति प्राप्तिकर्ता का प्राप्तिकर्ता का प्राप्तिकर्ता का प्राप्तिकर्ता का पार्तिकर्ता का नाम पैन या आधार यदि उपलब्ध हो												
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)						
(ख)संदाय के ब्यौरे जिस	पर कर काटा गया है किंतु	धारा 139 की उपधारा	(1) में विनिर्दिष्ट दे	य तारीख पर या	उससे पहले संदत्त न	ाहीं किया गया	क					
संदाय की तारीख दिदि/मामा/वववव	संदाय की रकम(रु. में)।	संदाय की प्रकृति	प्राप्तिकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पैन या आधार , यदि उपलब्ध हो	प्राप्तिकर्ता का पता	काटे गए कर की रकम	जमा की गई (7) में से यदि कोई हो ।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					

–	अनुसूची 40क (3क) :धारा 40(क)की उपधारा 3 के साथ पठित धारा1 0(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन रकम के ब्यौरे अननुज्ञेय है										
क्र.सं.	संदाय की तारीख	संदाय की रकम	संदाय की प्रकृति		प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे						
		(रु. में)	(रु. में)	नाम	पैन या आधार , यदि उपलब्ध हो	पता					

अनुसूची 40 (3क)क: धारा 40क की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अननुज्ञेय रकम के ब्यौरे										
क्र.सं. संदाय की तारीख रकम प्रकृति प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे										
				नाम	पैन या आधार , यदि उपलब्ध हो	पता				

अनुसूची टीडी	एस/टीर्स	ोएस							
कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या (टीएएन)	धारा	संदाय की प्रकृति	स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का संदाय या प्राप्ति की कुल रकम	कुल रकम जिस पर कर (4) में से काटा या संग्रहीत किया जाना अपेक्षित था	कुल रकम जिस पर कर (5) की विनिर्दिष्ट दर पर काटा या संग्रहीत किया गया था	(6)में से काटी गई या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर कर (7) की विनिर्दिष्ट दर पर काटा या संग्रहीत किया गया था	(8)पर काटे गए या संग्रहीत किए गए कर की रकम	(6)और (8) में से काटे गए या संग्रहीत किए गए किंतु केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में जमा नहीं की गई कर की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टीडीएस या टीसीएस का अनुसूची विवरण											
कर कटौती और संग्रह लेखासंख्या (टीएएन)	प्ररुप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख ,यदि दी गई हो	क्या काटे गए या संग्रहीत किए गए कर के विवरण में सभी संव्यवहारों के बारे में जानकारी है , जिनका रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							

टीडीएस/टीसीएस पर अनुसूची ब्याज			
कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या	धारा 201(1क) या 206ग(7) के अधीन ब्याज की रकम देय	स्तंभ (2) में से संदाय की गई	रकम के संदाय की
(टीएएन)	_{मै} ह	रकम	तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररुप 10 खख के टिप्पण

- **1. अधिनियम की** धारा 10 के खंड(23 ग) के उप-खंड (iv), उप-खंड (vi), उप-खंड (vi) या उप-खंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को इस प्ररूप में "संपरीक्षिती " के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 2. **धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 3. *क्रम संख्यांक 6 में ,वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चित किया गया है और जिसे नियम 17कक के उपनियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर लिखित रूप में क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारीकी अधिकारिता के लिए सूचित किया गया है,
- 4. क्रम संख्यांक 9(क) में, संबंध के लिए, स्तंभ (2) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चयनित किए जाएंगे

क्रम सं.	धारा	कोड
(1)	निर्माता	1
(2)	संप्रवर्तक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	सोसाइटी का सदस्य	5
(6)	शासकीय परिषद् का सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारक 5% या अधिक के शेयरधारी	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

5. ## क्रम संख्याक 9(क) के स्तंभ 5% में, और क्रम संख्यांक 9(ख)के स्तंभ (4) में विशिष्ट पहचान संख्या के स्थान पर और यदि कोड है, तो निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है ,तो उसे अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए :

(1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1								
पहचान के प्रकार	कोड							
पैन	1							
आधार संख्या	2							

(ख) यदि न तो पैन न ही आधार उपलब्ध है ,निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए :

पहचान के प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति रहता है	3
पासपोर्ट संख्या	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशनकार्ड संख्या	7

6.^^क्रम सख्या 28 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें:

क्र.सं	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास के निर्माता या संस्था के संप्रवर्तक;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति जिसने न्यास या संस्थान में पर्याप्त अभिदाय दिया है,अर्थात् कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक कुल अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	2
(3)	जहां ऐसा निर्माता संप्रवर्तक ;या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है वहां उस कुटुंब का सदस्य;	3
(4)	न्यास का कोई न्यासी या संस्था का प्रबंधक जिस नाम से संबोधित हो;	4
(5)	यथापूर्वोक्त किसी भी ऐसे निर्माता, संप्रवर्तक;, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार;	5
(6)	कोई भी समुत्थान जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई सारवान रखता हित रखता है।	6

[अधिसूचना सं. 7/2023 [फा. सं- 370142/47/2022-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक, (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण -मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 95(अ) तारीख 14 फ़रवरी,2023 द्वारा अर्तिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

- **G.S.R.** 118(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as the Act), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Income-tax Amendment (3rd Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 hereinafter referred to as the principal Rules, for rule 16CC, the following rule shall be substituted, namely:—
 - '16CC.Form of report of audit prescribed under tenth proviso to section 10(23C).—The report of audit of the accounts of a fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to be furnished under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 shall be in—
 - (a) Form No. 10B where—
 - (I) the total income of such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution, without giving effect to the provisions of the sub-clauses (iv), (v), (vi) and (via) of the said clause, exceeds rupees five crores during the previous year; or
 - (II) such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution has received any foreign contribution during the previous year; or
 - (III) such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution has applied any part of its income outside India during the previous year;
 - (b) Form No. 10BB in other cases.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (II) of clause (a), the expression "foreign contribution" shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).'.

- 3. In the principal Rules, for rule 17B, the following rule shall be substituted, namely:—
 - **'17B.Audit report in the case of charitable or religious trusts, etc.** The report of audit of the accounts of a trust or institution which is required to be furnished under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A, shall be in—
 - (a) Form No. 10B where—
 - (I) the total income of such trust or institution, without giving effect to the provisions of sections 11 and 12 of the Act, exceeds rupees five crores during the previous year; or
 - (II) such trust or institution has received any foreign contribution during the previous year; or
 - (III) such trust or institution has applied any part of its income outside India during the previous year;
 - (b) Form No. 10BB in other cases.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (II) of clause (a), the expression foreign contribution shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).'

4. In the principal Rules, for Form no. 10B, the following form shall be substituted, namely:—

'FORM No. 10B

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of subsection (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.

- * I/We have examined the balance sheet of [name of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution] as at and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution.
- * I/We have obtained all the information and explanations to the best of *my/our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at serial number 14 of the Annexure:

address memmo	ted at Serial number 11 of the 11me Aute .
	inion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the n in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications—
(a)	
(b)	
(c)	
	inion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said true and fair view—
* *	case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named * fund or trust or institution or niversity or other educational institution or hospital or other medical institution as on; and
	case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application profit or loss of its accounting year ending on
subject to the fo	ollowing observations/qualifications—
(a)	
(b)	

The prescribed particulars are annexed hereto.

.....

(c)

Place.

Date.

Signed Accountant †

Name

Membership Number

Address

Notes:

- 1. *Strike out whichever is not applicable.
- 2. †This report has to be given by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).
- 3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

							ANNEX	URE particulars						
	1.	PAN	of the au	ditee		State	ment or p	A	ВС	D I	E 1 2	3 4 F	7	
	2.		e of the au					71	ВС	Б 1		3 7 1		
	3.		ssment Ye											
ails	4.		ous Year	241				d d	m m y y	7 V V	1			
Basic Details	4.	Ticvi	ous i cai						m m y y	у у у]			
ısic								То						
B								d d	d d m m y y y y					
	5.	Regi	stered Ad	dress of the aud	itee									
	6.	Other	addresse	s, if applicable				< refer r	note*>	_		-		
Legal	7.	Type	of the au	ditee				Trust	Society 4	Comp	oany Others 4			
Le	8.	Whet	ther the a	uditee is establi	shed under an ins	trument?		Yes/No						
ails	9.	Details of registration/provisional registration or approval/ provisional approval or notification of the auditee u (details of all the registration/provisional registration/approval/provisional approval/notification which are provided, however where the auditee has got the registration/approval after provisional registration/approval need not be provided)							are valid during	the previous				
Registration Details		regist appro /notif	oved/ prov	which visionally registe visionally approv	red registrati provision notificat	registration/provisional registration or approval/			on/Approval/ on/ Uniqu on No available	e regi	hority granting stration/provisi I registration or roval/provisiona approval or fication	Date from which registration//provisional registration/approval/provi sional approval/notification is effective		
					(dd/mm/	уууу)						(dd/mm/yy	yy)	
				(1)		(2)			(3) (4) (5)					
	10.				/ Founder (s)/ Set						Governing Counc	il/ Director (s)/ shareholders	
		Name	person < refer sh note#> ca		Percentage of shareholding in case of	cholding in dentification of Number <		Id Code < refer	refer		ether there is any tion during previo		If yes, specify the change	
			(1)	(2)	shareholder (3)	 	(4)	note##>	(6)	Yes	/No (7)		(8)	
=		(h) In	` ′	`_		-1			. ,	the foll	owing details of t	he natural n	` '	
men		` '		, ,) of such person a		. ,,	,	•	. the foll	owing actails of t	ine natural p	crsons who are	
Management		S1. N	0.	Name	Unique Identification Number	e ID code Ad crefer note##>		Address	Non- individual person [a mentioned in row n 10(a)] i which beneficial ownership held	ben owr	centage of eficial eership	Whether there is any change during previous year of audit Yes/No	If yes, specify the change	
			(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	
	11.	Objec	cts of the	auditee							Refer Note\$			
	12.	(i)			ing a trust or institution of the objects wh						Yes/No			
		(ii)			llowing information		t comorni t	o the condition	s of registration	OII:				
		(11)	(A)		odification/ adopt		MM/YYYY)						
			(B)		plication for regist				ed form and	manner	Yes/No			
Objects			(-)	within the stip	ulated period of the	irty days f	from the dat	te of said adopt	ion or modifi					
Obj		(C) If yes provide the following details regarding application in 12A							ation under su	ıb-clause	e (v) of clause (ac)	of sub-section	on (1) of section	
		S.No Date of Status of reg Applicatio of application			tion	Stration in pursuance Date of Registration or cancellation based on such application URN of such application								
							(Pending/ granted/Re	I egistration can	Registration celled)	(dd/m	m/yyyy)			

	13.	(i)		ere the audite			provisional registra	ation or provisi	onal app	roval, whether	Yes/	No				
ties		(ii)		es in 13 (i) , da							d	d m	m y	у у у		
Commencement of activities		(iii)	clau	ise (ac) of sub	-section (1) of section	pplication for regis n 12A or application 10 has been filed?	tration under secon for approval	ction sub under cla	o-clause (iii) of nuse (iii) of the	Yes/I	No				
cement		(iv)					llowing details rega on for approval und) of clause (ac)	of sub-	
Commen			S.	No						Date of Regi based on suc			on	URN of such registration		
)							(Pending/ granted/Regi	Regi stration cancelle	stration ed)	(dd/mm/yyy	y)					
pur	14.	(i)		Thether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form did manner and at such place as prescribed under rule 17AA by the auditee												
nts a ined		(ii)	Prov	vide the follow	ving detail	ls of the boo	ks of account and o	ther documents								
of accou		S. No	Nati Boo Acc		auditee	ned by the	Whether maintained in a computer	Whether maintained at		ntained at any istered place	place of	acco		unt have n audited	oks of	
Details of Place where books of accounts and other documents have been maintained		<refer Note\$\$></refer 			(Yes/No))	system, (Yes/No)	registered office (Yes/No)	Address of suc Place		Assessi Officer books account kept a place proviso	intimation to Assessing Officer that books of accounts are kept at such place under proviso to sub- rule (3) of rule		/No)		
		(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)			
	15.	Where —	e, in a	any of the proj	ects/instit	utions run b	y auditee, one of th	ie charitable pui	poses is	advancement o	f any oth	er object o	of gene	ral public utilit	y then,-	
ant of General Public Utility		(A)					ried on by the audit clause (15) of section		ne nature	of trade, com	nerce or	Yes/No)			
ublic		(B)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts Whether such activity in the nature of trade, commerce or business is undertaken in the course of													
ral Pı		(C)		Whether such activity in the nature of trade, commerce or business is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility												
Gene		(D)		Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to clause (15) of section 2?)			
t of		(E)		If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts										%		
emen		(F)					g service is underta of general public ut		se of actu	al carrying out	of such	such Yes/No				
Advanceme	16.	If 'A'	or 'I	o' in 15 is Yes	, the aggre	egate annua	l receipts from such	activities in res	pect of th	nat project/insti	tution	l				
Adv		S.N	0	Name of Proj	ect/ Instit	ution	Amount of	aggregate annua	al receipt	s from activitie	s referre	d in 15A a	ınd 15I	O (In Rs.)		
		Tota	al													
		(i)		Whether the a	auditee ha	s any busine	ess undertaking as r	eferred to in sub	-section	(4) of section 1	1	Yes/No)			
ing			_				letails of the busine	ss undertaking:								
rtak		(ii)	F	` ′		ess Undertal	king									
Business Undertaking	17.	(11)	-	` ′		e books of a	account have been r	naintained for th	e busines	ss undertaking	<refer< td=""><td>Yes/No</td><td>)</td><td></td><td></td></refer<>	Yes/No)			
usines				(d) Incom	e from the		ndertaking for the p		ich is not	to be included	in the	Amour	nt in Rs	S.		
Bı				(e) Incom	e from the	business u	ndertaking for the p	revious year wh	ich is to	be included in	he total	Amour	nt in Rs	3.		
ıl to	18.	(i)		Whether the a	auditee ha	s any incom	ne being profits and 10 or sub-section (gains from any			seventh	Yes/No	O			
Business Incidental to Objects				If yes, then p	rovide the	following d	letails of such busin	iess:				Yes/No)			
ss Incide Objects		(ii)	L	` '	of Busin	ess										
ss Ir Obj		(11)	L	` ′	ess Code											
sines			L		-		account have been r				>	Yes/No				
Bus			F	` '			dental to the attains		cts of the	auditee		Yes/N				
				(e) Profits	and gains	s trom the b	business during the	previous year				Amour	nt in Ri	S.		

	19.	Details of the receipts of the auditee on which tax has been deducted at source referred to in sections 194C or 194J or 194H or 194Q:									:				
TDS on receipts		S. No.	Name of the deductor	TAN of deductor	Amount on which tax has been deducted at source (In Rs.)	Amount of tax deducted at source	Section under which has I deducte source	tax been	Category of inc Trade, commerce or business (Rs.)	Activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business (Rs.)	Others (specify the nature) (Rs.)	Income/receipt in column 7 or 8 which is from business incidental to the attainment of the objects of the auditee. (In Rs.)	Whether separate books of account have been maintained for activities income/receipt which is mentioned in column 10 (Yes/No)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	20.	Whethe	er the provisi	ons of twent	y second prov	riso to clause	(23C) of	section	on 10 or sub-se	ection (10) of	section 13 are	applicable.	Yes/No		
	21.	Whethe	er auditee ha	s filed Form	No. 10BD for	the previous	year < l	If No t	hen skip to ro	w 23 >			Yes/No		
	22.								itee for the pre	evious year			(Amount in Rs)		
		Donati				ot required to					1 (1) (
		(i)				or institution	of the au	ıdıtee	which is app	proved under	clause (b) of	Amount in R	s.		
		(ii)	sub-section (2) of section 80G Donations received by fund or trust or institution of the auditee which qualifies for deduction under section 80G (other than those donations qualifying under clause (b) of sub-section (2) of section 80G or sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G)								Amount in R	s.			
						or institution		(a)	Cash dona	ations exceed	ding Rs. 2000	Amount in R	S.		
	23.	(iii)	of sub-sec	tion (2) of se		use (iv) of claud which are notion 80G		(b)	charitable from any any unive institution	rsity or other ns or any hosp nstitution not	stitution or ution or trust of educational pital or other	Amount in R	S.		
				(c) Others < Specify the nature>							Amount in R	s.			
								(d)	Total (a)+	-(b)+(c)		Amount in R	S.		
su		(iv)		Donations which could not be reported in Form No 10BD due to non-availability of identification of donor as required under Form No 10BD									s.		
contributions		(v)	Donations received in kind									Amount in R	Amount in Rs.		
cont						section 115E									
			(a) Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (i) of sub-section (1) of section 115BBC							Amount in R	Amount in Rs.				
Voluntary		(vi)		Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability								Amount in R	s.		
			(c)	of clause (l	o) of sub-secti	on (2) of sect	ion 115E	BBC	ection 115BB0	C on account	of applicabili	Amount in K			
					ymous donations taxable @ 30 % under section 115BBC							Amount in R			
		(vii)	(e) '	Γotal (a+b+c	+d)					∠Dlagge	anaaifu tl	Amount in R	S.		
		(vii)	Any other	voluntary co	ontribution no	t part of Form	No. 10I	BD		<please nature></please 	specify th	Amount in R	S.		
		(viii)	Total dona	tion not rej	ported in Forn	n No 10BD [2	23(i)+23((ii)+23	3(iii)(d) +23(iv	v)+23(v)+23(vi)(e)+23(vii)]	Amount in R	S.		
	24.	Total v	Total voluntary contributions received by the auditee during the previous year [22+23(viii)]								Amount in R				
	25.	Total fo	oreign contri	bution out of	the total volu	intary contrib	utions st	ated ir	n 24			Amount in R < Fill Schedu			
		Volunt	ary Contribu	tion forming	part of corpu	s (which are i	ncluded	in 24)				Amount in R	S.		
	26.		sub-section	(2) of section	n 80G eligible		on under	Expla	ir of places not mation 1A to t in 11			Amount in R < Fill Schedu			
		(B)							section 11 or E modes specifi			Amount in R			
	27.	Volunt	ary Contribu	tions require	d to be applie	d by the audit	ee durin	g the p	previous year [24-{23(vi)(d)+26A+ 26B}] Amount in R	S.		

to be	28.	income	of fun	other than voluntary contributions derived from property held under trust referred to in section 11 or of fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other institution (other than the contribution reported in serial number 24)											
Income to be applied	29.	Income	applie	d outside I	ndia which is elig	gible under clause	e (c) of sub-sect	ion (1) of	section 11		Amount in Rs. < Fill Schedule	Int App>			
I	30.	Income	requir	ed to be ap	Amount in Rs.										
	31.	Applica	ation of	f Income (e	excluding applica	tion not eligible a	and reported un	der serial	number 37)						
		(i)		l amount a previous ye		ble or religious p	urposes in Indi	a during	+Electronic (In Rs)	Other than Electronic (In Rs.)					
			(a)	Contribu year	tion or donation	to any other perso	on during the pr	revious			Amount in Rs.				
				Object w	ise application o	ther than the appl	ication provide	d in (a)							
				(1)	Religious						Amount in Rs.				
				(11)	Relief of poor			Amount in Rs.							
				(III)	Education		Amount in Rs.								
				(IV)	Medical relief						Amount in Rs.				
				(V)	Yoga		Amount in Rs.								
			(b)	(VI)	Preservation of forests and will	f environment (in dlife)	cluding waters	neds,			Amount in Rs.				
				(VII)	Preservation of artistic or history	f monuments or poric interest	laces or objects	s of			Amount in Rs.				
							(VIII)	utility	of any other object					Amount in Rs.	
				(IX)	under (I) to (V	hich cannot be sp III)	ecifically categ	orised			Amount in Rs.				
				(X)	Total						Amount in Rs.				
			(c)		plication [(a) + (b						Amount in Rs.				
		(ii)	Details of application out of (i) (a) and (i) (b) resulting in payment in excess of Rs. 50 lakh during the previous year to any person S.No. Name of PAN of such Amount of Mode of application TDS												
Application of Income			5.140.		Name of person to person PAN of such application whom amount paid or credited PAN of such person (Rs)			Mode of applicati	on	TD	S				
ication o								+Electro c modes (Rs.)	Electronic modes	Total	Whether any TDS has been deducted	Section under which TDS has been deducted			
ildd									(Rs.)		Yes/No				
A		(iii)	Ame	unt which	was not actually	Amount in Rs.									
		(iv)	Amo	ount actuall	y paid during the	previous year wl	hich accrued du		earlier previous ye	ear but not	Amount in Rs.				
			clain	ned as appl	lication of income	e in earlier previo	ous year								
		(v)	Tota	l amount to	be allowed as a	pplication [31(i)(c)- 31(iii) +31(i	iv)]			Amount in Rs.				
		(vi)	Bifu	rcation of a	application in 31(v) into Revenue	or Capital				Amount in Rs.				
		(VI)	(a)	Reven							Amount in Rs.				
			(b)	Capita							Amount in Rs.				
		(vii)	not c	claimed as	application durin	ng that previous y	ear.		ny preceding prev	-	Amount in Rs. < fill Schedule C	Corpus>			
		(viii)				g during the previ year during that p		was earli	er applied and no	t claimed as	Amount in Rs. < fill Schedule L	.B>			
		Amour			d from applicat										
		(ix)	Amo secti	ount disallo on (1) of so	wable under thir ection 11 read wi	teenth proviso to th sub-clause (ia)	clause (23C) of of clause (a) o	section 1 section 4	0 or Explanation 40	3 to sub-	Amount in Rs. < fill schedule T	DS>			
		Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) or (3A) of section 40A Amount in Rs. < fill schedule 4 40A(3A)>									< fill schedule 40	OA(3)/schedule			
		(xi)	hosp	ital or othe	er medical institu	tion referred to in	n sub - clauses	(iv), (v),	educational inst (vi) or (via) of court 12 of the Act to	lause (23C) o	of				
		(xii)	hosp	ital or othe	er medical institu	tion referred to in	n sub - clauses	(iv), (v),	educational inst (vi) or (via) of c 11 or 12 of the A	lause (23C) o	of				

			same o	bjects		
		(xiii)	Donati	ion to any person other than any fund or institution or trust or any university or of tion or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v) (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11	, (vi) or (via) of	Amount in Rs.
		(xiv)		ation outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section t been obtained	(1) of section 11	Amount in Rs.
		(xv)		ration outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section en obtained	(1) of section 11	
		(xvi)	Applie	d for any purpose beyond the objects of the auditee	Amount in Rs.	
		(xvii)	Any o	ther disallowance (Please specify)	Amount in Rs.	
		(xviii)	Total a	allowable application [{31(v)+31(vii)+31(viii) – {31(ix) to 31(xvii) }]		Amount in Rs.
		(xix)		nt deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explant (1) of section 11	nation 1 to sub-	Amount in Rs. < fill Schedule DI>
		(xx)		e accumulated as per the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause sub-section (2) of section 11	(23C) of section	Amount in Rs. < fill Schedule AC>
		(xxi)		e accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or stat r institution to the extent it does not exceed 15 % of the income	ed objects of	Amount in Rs.
	32.	Taxa	ble Income	[30- {31(xviii) to 31(xxi)}]		Amount in Rs.
		Incor	ne taxable	under section 115BBI		
	33.	(a)		the auditee has any deemed income referred to in sub-section (1B) of section 11 chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed	Amount in Rs.	
		(b)	to clause	the auditee has any deemed income referred to in Explanation 4 to third proviso (23C) of section 10 or sub-section (3) of section 11 which is chargeable to tax @ er section 115BBI and the amount of such deemed income?	Yes/No If yes fill Schedule AC	Amount in Rs.
			(i)	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes or ceases to be accumulated or set apart for application thereto	Yes/No	Amount in Rs.
			(ii)	Whether such income accumulated ceases to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11	Yes/No	Amount in Rs.
5BBI			(iii)	Whether such income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of Explanation 3 to third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (a) of sub-section (2) of section 11	Yes/No	Amount in Rs.
Section 115			(iv)	Whether such income accumulated is credited or paid to any trust or institution registered under section 12AA or section 12AB or to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10	Yes/No	Amount in Rs.
		(c)	(i)	Whether the auditee has any income which is income not to be excluded from the total income under twenty first proviso to clause (23C) of section 10 or clause (c) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	Yes/No	Amount in Rs.
			(ii)	Whether the auditee has any income which is not to be excluded from the total income under clause (b) of third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (d) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	Yes/No	Amount in Rs.
		(d)	of the inc	the auditee has any income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent. ome where such accumulation is not allowed under any specific provision of the which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such	Yes/No	Amount in Rs.
		(e)		the auditee has made any application out of India which is not excluded from me under clause (c) of sub-section (1) of section 11	Yes/No < If yes fill schedule Int App>	Amount in Rs.
	34.	Anon	ymous dor	nation which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBC		Amount in Rs.
		Othe	r Income			Amount in Rs.
Other Income	35.	(a)	Whether such inco	the auditee has any income chargeable under section 12(2) and the amount of me.	Yes/No	Amount in Rs.
Othe		(b)		s per Explanation 3B to sub-section (1) of section 11 in case of violation of clause Explanation 3A to sub-section (1) of section 11 read with clause (b) of sub-section		Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>

			80G												
		(c)	Income as per <i>Explanation</i> 1B to the third proviso to clause (23C) of section 10 in case of violatic clauses (a) or (b) or (c) or (d) of <i>Explanation</i> 1A to the third proviso to clause (23C) of section 10 clause (b) of sub-section (2) of section 80G											>	
		(d)	Income chargeable under sub-section (4) of section 11 Amount in Rs.												
Capital Asset	36.	Deta	ils of capita	ıl asset trans	sferred under s	ub-section (1A) of s	ection 11					l			
		(1)	Whether a capital asset being property held under trust wholly for charitable purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?						or religious	Yes/No Amount		Amount in I	in Rs.		
		(2)	Whether deemed application is claimed as per clause (a) of sub-section (1A) and the amount of such deemed application?						of section 11	Yes/No		Amount in Rs.			
		(3)	Whether a capital asset being property held under trust in part only for charit religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred.						table or isferred?	Yes/No		Amount in Rs.			
		(4)	Whether deemed application is claimed as per clause (b) of sub-section (1A) of and the amount of such deemed application?							Yes/No Amount in F			Rs.		
		Appl				g sources during the	previous year			ı		l			
Application of income out od different sources	37.	(A)	Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or under sub-section (2) of section 11 during any earlier previous year						+Electronic n (Rs.)			than onic modes Total Am (Rs.) < Fill sch AC>			
		(B)	Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year						(Rs.) Ele			Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill schedule DI>	
		(C)	Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart						(Rs.) Ele			Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.)	
		(D)	Corpus						+Electronic modes (Rs.) Other Electr (Rs.)		than Total Amo onic modes (Rs.) < Fill Sche Corpus>		Schedule		
		(E)	Borrowed fund								ronic modes (Rs.)		Amount Schedule		
		(F)	Any other (Please specify)						+Electronic modes (Rs.) Other Electric (Rs.)		than onic modes (Rs.) < Fill Schell LB>				
	38.	Detai	Details of application resulting in payment or credit in excess of Rs. 50 lakh during previous year to a single person out of 37												
		S.no	Name o	of person	PAN	Amount of application (Rs.)	Mo	ode of	f Application			TDS			
							+Electroni c modes		ner than ctronic des	Total	Whether has been (Yes/No	any TDS Section under which TDS ha been deducted		Amou nt of TDS	
			****		C.	1	(22.5) 2		0 1 3	(10) 3		11 12	0 1	X /21	
13(10) and 22nd proviso to section 10(23C)	39.	(i)	If yes i	n (i) specify	the reason wl	ond proviso to clau by the provisions of							e!	Yes/No	
		(ii)	sub-section (10) of section 13 are applicable? (a) Provision of proviso to clause (15) of section 2 is applicable Yes.												
			(b)	condition specified in clause (a) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated									Yes/No		
			(c)	condition specified in clause (b) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of									Yes/No		
			(d)	condition specified in twentieth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated									Yes/No		
		(iii)	If yes in (i), please provide computation of income chargeable under twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13												
			(a)										Amount in Rs.		
			(b)	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the auditee,									Amount in Rs.		
			(c)	Expenditu	re to be disalle	owed									

				(i)	finan			dit of the trust or institution as us year relevant to the assessm		Amount in Rs.
				(ii)	Expe	nditure from any loan or borrov	wing			Amount in Rs.
				(iii)		eciation in respect of an asset, a		which has been claimed as appli	cation of income, in	Amount in Rs.
				(iv)	Expe	nditure in the form of contribut	ion or donatio	n to any person.		Amount in Rs.
				(v)	Capit	al expenditure				Amount in Rs.
				(vi)				section (10) of section 13 or Ex with sub-clause (ia) of clause (a)		Amount in Rs. < fill schedule TDS disallowable >
				(vii)				section (10) of section 13 or Exwith sub-sections 3 or 3A of sec		Amount in Rs. < fill schedule 40A(3)/Schedul e 40A(3A)>
				(viii)	Any o	other disallowance				Amount in Rs.
				(ix)	Total	expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(i	v)+(v)+(vi)+(vii))+(viii))		Amount in Rs.
			(d)			able to tax under twenty-seco b+c(ix)}]	ond proviso to	clause (23C) of section 10 or	sub-section (10) of	Amount in Rs.
		In ca	se auditee i	is approve	d unde	r second proviso to sub-section	(5) of section	80G, please provide the following	ng details	_
Expenditure Incurred for Religious Purposes		(a)		any amour mount of s		penditure incurred during the penditure	If yes specify amount in Rs.			
Incu	40	(b)	Total inco	ome of auc	ditee du	iring the previous year	Amount in Rs.			
ure	40.		Percentag	ge of exper	nditure	which is of religious nature to	%			
Expendi Religi		(c)								
		Deta	ils of speci	fied persor	n* as r€	eferred to in sub-section (3) of	section 13		T	
	41.	in su 13	e of Person ab-section (Fer Note^^>	(3) of secti		Name of such person	PAN of such person	Aadhar number of such person, if allotted	Address of such person	If code 2 selected in column (1) specify the amount of contribution made to the auditee
	42.	Detai	ils of transa	ctions refe	rred to	in section 13 (2)				T
	(a)					or property of the auditee is, or either adequate security or ade		be, lent to any specified person f or both	for any period	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-a>
G	(b)	perso	on, for any	period dur	ing the	previous year without chargin	g adequate rer	•		Yes/No < If yes, fill Schedule SP-b >
to in 13(3	(c)	resou	irces of the	trust or in	stitutio	way of salary, allowance or oth- on for services rendered by that such services;	erwise during person to suc	the previous year to any specifi h auditee and the amount so paid	ed person out of the d is in excess of	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-c >
Person referred to in 13(3)	(d)		ther the ser ineration or				specified perso	on during the previous year with	out adequate	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-d >
Pers	(e)					ther property is purchased by o which is more than adequate;	r on behalf of	the auditee from any specified	person during the	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-e1/e2 >
	(f)		ther any sh for conside	uring the previous	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-f1/f2 >					
	(g)	Whe	ther any in	come or pr	roperty	of the auditee is diverted during	ng the previou	s year in favour of any specified	l person	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-g >
	(h)					e are, or continue to remain, in a substantial interest.	vested for any	period during the previous year	, in any concern in	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-h >

		G 161	177.1.0					
	43.	Whether	(-)	Yes/No	Amount in Rs.			
		(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the trust or institution.	Yes/No	Amount in Rs.			
_		(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.	Yes/No	Amount in Rs.			
Specified Violation		(c)	Whether the auditee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.	Yes/No	Amount in Rs.			
ecifie		(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.	Yes/No	Amount in Rs.			
$S_{\mathbf{I}}$		(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.					
		(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such noncompliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.	Yes/No	< If yes, fill schedule other lav violation>			
	44.	(23C) of	there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to clause section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been as an application of income and the amount of such depreciation?	Yes/No	If yes specify the amount			
	45.	please s	of provisions of nineteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (7) of section 11, pecify whether the trust or institution has claimed deduction under section 10 [other than clause se (23C) and clause (46) thereof] during the previous year and the amount of such claim?	Yes/No	Amount in Rs.			
	46.		the auditee has taken or accepted any loan or deposit or any specified sum, exceeding the limit in section 269SS during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedu 269SS)			
	47.	a day; o	the auditee has received an amount exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or from a person during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedu 269ST)			
	48.		the auditee has repaid any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit in section 269T, during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedu 269T)			
	49.	Whether XVII-BE	the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter 3?	Yes/No	(If yes, fill Schedi TDS/TCS/ Statement of TDS/TCS/ Interes on TDS/TCS as applicable)			

Schedules	Schedules to fill as may be applicable < refer to instructions> Form 10B													
Sc	Schedule Corpus: Details of Corpus Type of Openi Received/T Appli Amoun Total Finan Closin Inves Amou Inves If corpus donation is of type													
					Total amou nt invest ed or depos ited back in to corpu s (5)	Finan cial year in which (4) was applie d earlie r (6)	Closin g balanc e (7) [(1+2 +5)-3]	Inves ted in mode s specif ied in sectio n 11(5) (8)	Amou nt taxed in previo us assess ment year (9)	Inves ted in mode s other than specified in section 11(5) as on last day of the previous year (10)	corpus for the purpose other than for an arminition was made	n whething cond	er it fulf	forms and modes other those His
	previo us year) (1)			applica tion fulfille d the conditi ons) (4)						(10)	Amount applied out of which the voluntary co	Contribution or donation to any person;	Maintained as not s	invested or deposited in the specified under sub-section

(i)						Yes/	Yes/	Yes/	Yes/
Represen						No	No	No	No
ting									
donations									
received									
for the									
renovatio									
n or									
repair of									
places									
notified									
under									
80G(2)									
60G(2)									
(b) on or after									
01.04.20									
20									
(ii) –									
Other									
than (i)									
above									
received									
on or									
after									
01.04.20									
21									
(iii)									
Other									
than (i)									
and (ii)									
above									

Schedule FC: Details of forei	gn contribution	
Nature of foreign	Amount of foreign contribution	Details of the total application from such contribution during the previous
contribution received during	received during the previous years	year
the previous year	(In Rs.)	Amount In Rs.
(i) orpus		
(ii) on- corpus		
Total		

Schedule LB: De	etails of Loan and Bo	orrowing				
Opening balance as on 1 st April of the previous year	Loan and borrowings taken for applications towards objectives during the previous year	Applied for the objects of the trust or institution during the previous year	Amount of repayment of loan or borrowing during the previous year (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions as required)	Financial year in which (4) was applied earlier	Total repayment of loan or borrowing during the previous year (In Rs.)	Closing Balance as on 31st March (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Schedu	ıle Int App: I	Details of income	applied outs	ide India						
S.No.	Name of the person to whom remittance is made	Taxpayer Identification Number if available	Amount of remittance out of India which is reported in Form No. 15CA (In Rs.)	Amount of remittance outside India other than (4) (In Rs.)	Charitable or religious purpose for which application is made	Country of application	Whether applied for promoting international welfare in which India is interested and is and not to be included in total income of the auditee?	If approv		pplication taken Date of approval
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Date of furnishing Form 9A (dd/mm/yyyy)	Amount deemed to be applied during the previous year referred to	Reason of deeming application (a) income has not	Out of the deemed application claimed earlier,	Amount taxed in any earlier assessment	Out of the deemed application clamied.	Amount of deemed application	Amount which could not	Balance Amount of deemed
	in column 1	been received during that year (b) any other reason	amount required to be applied	year out of the amount referred to in column (5) (Fill schedule DA)	amount required to be applied during the financial year pertaining to current assessment year	claimed in earlier years, applied during the financial year relating to current AY	be applied and deemed to be income under section 11(1B) during the previous year	application
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(5)- (6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)- (7)=(10)
		Dropdowns to be provided						
Details of accumu	lated income	taxed in earlie	er assessment	years as per si	ub-section (1B	of section 11		
						eding the curre	ent previous ye	ear
Yyyy – yyyy	Yyyy – yyy	Yyyy - yyyy	Yyyy	у — уууу		Yyyy –	уууу	
	Details of accumu Assessment year Dropdowns to be	Details of accumulated income Assessment year in which the a Dropdowns to be provided last	(2) (3) (4) Dropdowns to be provided Details of accumulated income taxed in earlie Assessment year in which the amount referred Dropdowns to be provided last five previous y Yyyy - yyyy Yyyy - yyyy	(2) (3) (4) (5) Dropdowns to be provided Details of accumulated income taxed in earlier assessment Assessment year in which the amount referred to in column Dropdowns to be provided last five previous years beginning Yvvv – vvvv Yvvv – vvvv Yvvv – vvvv Yvvv – vvvv	other reason (2) (3) (4) (5) (6) Dropdowns to be provided Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assessment years as per state of accumulated income taxed in earlier assess	other reason Other reason DA) to current assessment year (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) - (6) Dropdowns to be provided Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (1B) Assessment year in which the amount referred to in column (4) of schedule DI was taxed Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year prec	other reason DA) to current assessment year (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5)- (8) Dropdowns to be provided Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (1B) of section 11 Assessment year in which the amount referred to in column (4) of schedule DI was taxed Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year preceding the current assessment years as per sub-section (1B) of section 11 Assessment year in which the amount referred to in column (4) of schedule DI was taxed Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year preceding the current assessment year.	other reason DA) to current assessment year (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5)- (8) (9) Dropdowns to be provided Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (1B) of section 11 Assessment year in which the amount referred to in column (4) of schedule DI was taxed Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year preceding the current previous year years year year years year years ye

Sche	dule AC:	The details	s of accum	ulation												
S. N o.	Year of accum ulation (F.Y.)	Date of furnis hing Form 10 dd/m m/yyy y	Amou nt accum ulated in the year of accum ulation	Purpos e of accum ulation	Amo unt appli ed for chari table or religi ous/ purp oses up to the begi nnin g of the previ ous year	Bal anc e to be app lied (3)- (5)	Amo unt taxed in any earlie r asses smen t (Fill sched ule ACA	Balan ce avail able for appli catio n (6)- (7)	Amou nts applie d for charita ble or religio us purpos e during the previo us year out of previo us years' accum ulation	Amou nt applie d for purpos es other than the purpos e for which such accum ulation was made (if applic able)	Amount credited or paid to any trust or institution registered under section 12AB or approved under subclauses (iv)or(v)or (vi)or(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)	Balan ce amou nt avail able for appli catio n (8) – (9) – (10) – (11)	Amo unt inve sted or depo sited in the mod es spec ified in secti on 11(5) out of (12)	Amo unt inves ted or depos ited in the mode s other than speci fied in section 11(5) out of (12) (if appli cable)	Amou nt which is not utilise d during the period of accum ulation (if applic able)	Amo unt deem ed to be inco me within theme aning of subsection (3) of section 11 (if applic able) (10)+ (11)+ (14)+ (15)
	Provid e dropdo wn	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

for the								
last								İ
seven								
financi								
al								ĺ
years								İ
Total								

Schedule ACA: D	etails of accumulated inc	ome taxed in earlier assess	sment years under sub-sect	tion (3) of section 11								
	Assessment year in which this amount was taxed Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year preceding the current previous year											
Year of accumulation (F.Y.)	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy							
Dropdowns to be provided for last five previous years beginning from the current previous year Yyyy – yyyy												
Total												

Schedul previou		her any part of	income or proper	rty of the auditee i	is lent, or	continues to b	oe lent, to the	specified perso	n during the
S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	De	etails		Details of Second	urity	Details o	f interest
			Nature of income or property which is lent	Amount for which income or property is, or continues to be, lent to specified person for any period during the previous year	Nature of securit y	Value of security	Value of adequate security	Actual rate of interest that is charged	Adequate rate of Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

S. No.	S. No. Name of specified person	PAN of specifie d person	Details of asset		Duration for which asset is, or continues to be, made available for the use of specified person during the previous year,		Details of rent for the previous year		Details of other compensation for the previous year		
			Nature of asset	Address	From dd/mm/yy yy	To dd/mm/yyy y	Amount of rent	Adequate rent	Nature	Amount of compensat ion	Adequate compensati on
(1)	(2)	(3)	<pre>(4) < land/ building/ other property ></pre>	(5)	(6) (7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Schedule SP-c: Details of salary, allowance or otherwise which is paid to the specified person out of the resources of the auditee for services rendered by him during the previous year											
S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of services rendered by specified person	Details o	f payment for the previou	ıs year						
				Nature of payment	Amount of payment (in Rs)	Reasonable amount for services						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						

		< Salary/ Allowance/ Otherwise (please	
		specify)>	

Schedule SP-	Schedule SP-d: Details of the services of the auditee are made available to the specified person during the previous year?												
S. No.	Name of	PAN of	Details o	f services		emuneration vious year	Details o	of compensation previous year	n for the				
	specified person	specified person	Nature of services made available	Value of services made available (In Rs.)	Actual amount of remunerati on for the service	Adequate remunerati on for the service	Nature of compensati on for the service	Actual amount of compensati on for the service	Adequate compensat ion				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				

c	Name of	PAN of	Nature of		Details of	of Shares or	Security		Details of other property being movable				
S. No.	specified person	specified person	property purchas ed	Name of the compan y/ concern of which the shares are purchase d	Number of shares purchase d during the previous year	Price of each share/se curity	Total consider ation paid share or security	Adequat e consider ation for shares or security	Nature of property	Number of property purchase d	Price of property	Total consider ation paid for property during the previous year	Adequ ate Consid eration
			< Share/ Security/ Other Property >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Schedule SP-	chedule SP- e 2 : Details in case of other property being immovable:											
S. No.	Name of	PAN of	Type of asset	Address of	Area (in Sq	Stamp duty	Details of Cons	ideration				
	specified person	specified person		property	ft)	value	Amount of considertaion paid for asset	Adequate consideratio n for asset				
			< Land/ Residential/ Commercial Property etc)>									

Sche	dule SP- f	1: Details o	of any shar	e, security s	sold by or	on behalf	of the trust or	r institution to	a specifie	d person di	iring the p	orevious year?	
S.	S. of specifi of	_	Details of Shares or Security						Details of Other Property being Movable				
No ·	ed person	ed person	y sold	Name of the Compa ny or Concer n of which the shares are sold	Numbe r of shares sold during the previo us year	Price of each share or securit y	Total considerati on share /security	Adequate considerati on for share or security	Nature of movab le propert y	Number of movabl e properti es sold	Price of movab le propert y	Total considerati on for property during the previous year	Adequate considerati on
			<share <br="">Security/</share>										

			Other Property >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Sche	Schedule SP- f 2: Details in case of other property being immovable:													
S. No.	Name of specified	PAN of specified	Type of asset	Address of property	Area (in Sq	Stamp Duty	Details o	f Co	nsideration					
	person	person			ft)	Value			Adequate consideration asset	for				
			< Land/ Residential/ Commercial Property etc>											

	Schedule SP-g: Details of any income or property which is is diverted during the previous year in favour of any specified person										
S No	Name of specified person in whose favor income or property diverted	PAN of specified person	Details of Income or property th	nat is diverted							
			Nature of Income or property that is diverted	Value of income or property that is diverted (In Rs.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							

Schedule I interest	h: Details of	any funds th	nat are, or con	tinue to	remain,	invested in any o	concern during	g the previous	year in which	the specified	person has a s	substantial
S No			Details of	the Cor	ncern in w	hich funds are, or	continue to ren	nain, invested		Details	of substantial i	nterest
Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Name of concern	Address of concern	Amount that is or continues to remain invested in concern during the year (In Rs.)	the pro	on of inversions year	To dd/mm/yyyy	Nature of investment	Income from investment during the year	Name of specified person having substantial interest in concern	PAN of specified person	Nature of substantial interest	Nature of concern in which funds are continue to remain invested
	< Company/ Others>											

Schedul	e other law violation					
S.no	Name of law under which non-compliance has occurred	Nature of non- compliance	Date of order, direction or decree, holding that such non- compliance has occurred	Whether the order, direction or decree, has been disputed before any court or appellate forum	If yes, whether dispute has attained finality	Has the dispute been finalised in favour of the auditee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Schedule TDS disallowable: Details of amounts inadmissible amount disallowable under thirteenth proviso to clause $(23C)$ of section 10 or subsection (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40:										
(a) Details of payment	(a) Details of payment on which tax is not deducted									
Date of payment dd/mm/yyyy	Amount of payment (in Rs.)	Nature of p	payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)				
(b) Details of payment 139	on which tax has bee	en deducted but has	not been paid	on or before th	e due date speci	fied in sub-	section (1) of section			
Date of Payment Dd/mm/yyyy	Amount of payment (in Rs.)	Nature of payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			

	Schedule 40A(3): Details of amount is disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A								
S. No.	Date of payment Amount of payment Nature of (In Rs.) payment	Nature of payment	Details of payee						
			(In Rs.)	Name	PAN or aadhar, if available	Address			

	lule 40A(3A): Details n (3A) of section 40A		wable under thi	irteenth proviso to se	ection 10(23C)/sub-section (1) of section	11 read with sub-
S. No.	Date of payment	Amount	Nature	Details of payee		
				Name	PAN or Aadhar, if available	Address

Sched	ule 269SS: De	tails of loan	or deposit	or any specifi	ied sum taken,	exceeding the l	imit specified in sec	tion 269SS during t	he previous
S.No	Name of the lender or depositor	PAN or aadhar, if available	Address	Loan or deposit or any specified sum	Amount of loan or deposit taken or accepted	Whether the loan or deposit was squared up during the previous year? Yes/No	Maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether account payee if by cheque or Bank draft?

Schedule 269ST: Details of amount received exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?

	Г	Details of Pay	yee		De	etails of Transaction			Mode of Repayment		
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan or deposit or any specified advance	Amount	Please specify mode of receipt [by Cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other]	Whether Account payee, if by cheque or bank draft?	Whether squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or nay other mode	Whether Account Payee if by cheque or bank draft?

	previous year?											
		Details of Pay	/ee	Details of Transaction					Mode of	Repayment		
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan o deposit o any specified		Please specify mode receipt	of	Whether Account payee, if by cheque	Whether Squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque of Bank draft of use electronic	

advance

[by cheque or Bank draft or

use of electronic

clearing system through a bank account or any other]

draft?

bank

clearing system

through a bank

account or nay other mode

bank draft?

Schedule TD	OS/TCS								
Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Section	Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule Statement of TDS/TCS									
Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					

Schedule Interest on TDS/TCS			
Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2)	Date of payment Dd/mm/yyyy
(1)	(2)	(3)	(4)

Notes to Form 10B

- Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act shall be referred as "auditee" in this form;
- (2) Any person referred to in sub-section (3) of section 13 shall be referred as specified person in this form;
- (3) *In serial number 6, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the proviso to sub-rule (3) of rule 17AA;
- (4) **In serial number 9, for the section under which registered or provisionally registered or approved or provisionally approved one of the following codes shall be selected (details of all the registration/provisional registration or approval or provisional approval or notification which are valid during the previous year should be provided, however where the auditee has got the registration or approval, after provisional registration or approval the details of provisional registration or approval need not be provided):

S. No	Section	Code
(1)	Clause (a) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	1
(2)	Clause (b) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	2
(3)	Clause (c) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	3
(4)	Clause (i) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	4
(5)	Clause (ii) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	5
(6)	Clause (iii) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	6
(7)	Clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	7
(8)	Clause (iia) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	8
(9)	Clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	9
(10)	Clause (i) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	10
(11)	Clause (ii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	11
(12)	Clause (iii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	12
(13)	any other, please specify	13

(5). #In row 10(a), in column (2) for relation one or more of the following codes shall be selected

S. No	Section	Code
(1)	Author	1
(2)	Founder	2
(3)	Settlor	3
(4)	Trustee	4
(5)	Members of society	5
(6)	Members of the Governing Council	6
(7)	Director	7
(8)	Shareholders holding of 5% or more of shareholding	8
(9)	Office Bearer s	9
(10)	Others	10

(6) ##In serial number 10(a), in column (5), and in serial number 10(b), in column (4) for ID code, the following should be filled:

(a) If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of identification	Code					
PAN	1					
Aadhar number	2					
(b) If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:						
Type of identification	Code					
Taxpayer identification Number of the country	3					
where the person resides;						
Passport number;	4					
Elector's photo identity number	5					
Driving License number	6					
Ration card number	7					
_						

(7). \$ In serial number 11, for the objects of the auditee, one or more of the following options shall be selected:

S.no	Object	Code
(1)	Religious	1
(2)	Relief of poor	2
(3)	Education	3
(4)	Medical relief	4
(5)	Yoga	5
(6)	Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)	6
(7)	Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest	7
(8)	Advancement of any other objects of general public utility	8

(8) \$\$In serial number 14(ii), in column (2) one or more of the codes shall be selected:

S.No	Nature of books of account or other document as provided in rule 17AA	Code
(1)	Cash book	1
(2)	Ledger	2
(3)	Journal	3
(4)	Copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee	4
(5)	Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person	5
(6)	Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions effected	6
(7)	Books of account, as referred in Serial No. 1 to 6, for business undertaking referred in sub-section (4) of section 11 of the Act	7
(8)	Books of account, as referred in Serial No 1 to 6,, for business carried on by the assessee other than the business undertaking referred to in sub-section (4) of section 11 of the Act	8
(9)	Record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives	9
(10)	Record of income of the person during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(ii)	10
(11)	Record of application of income etc. out of income during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(iii)	11
(12)	Record of application of income out of the income of any previous year preceding the current previous year as per rule 17AA(1)(d)(iv)	12
(13)	Record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus, as per rule $17AA(1)(d)(v)$;	13
(14)	Record of contribution received for the purpose of renovation or repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under clause (b) of sub-section (2) of section 80G which is being treated as corpus, as per rule 17AA(1)(d)(vi)	14
(15)	Record of loan and borrowings as per rule 17AA(1)(d)(vii)	15
(16)	Record of properties as per rule 17AA(1)(d)(viii);	16
(17)	Record of specified persons as per rule 17AA(1)(d)(ix);	17
(18)	Any other documents containing any other relevant information as per rule $17AA(1)(d)(x)$.	18

- 9) ^In serial number 17 (ii)(c) and 18(ii)(c) upload the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Audit Report in Form 3CA or 3CB as applicable (e-filing utility to provide upload facility) for the business undertaking or business incidental to objects.
- (10) + Electronic modes shall be the following modes referred in rule 6AABA of the Income-tax Rules, 1962:
 - (a) Credit Card;
 - (b) Debit Card;
 - (c) Net Banking;
 - (d) IMPS (Immediate Payment Service);

- UPI (Unified Payment Interface):
- RTGS (Real Time Gross Settlement);
- (g) NEFT (National Electronic Funds Transfer); and
- (h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhar Pay;
- (11) ^^In serial number 41, select one or more of the following codes for specified person:

S.	Nature of person	Code
No		
(1)	the author of the trust or the founder of the institution;	1
(2)	any person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is to say, any person whose total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds fifty thousand rupees;	2
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee of the trust or manager (by whatever name called) of the institution;	4
(5)	any relative of any such author, founder, person, member, trustee or manager as aforesaid;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred above have a substantial interest.	6

- Particulars in Schedule 269ST need not be given in the case of receipt by or payment to a Government company, a banking Company, a post office savings bank, a cooperative bank or in the case of transactions referred to in section 269SS or in the case of persons referred to in Notification No. S.O. 2065(E) dated the 3rd July, 2017;
- 5. In the principal Rules, for the Form No. 10BB, the following form shall be substituted, namely:-

'FORM No. 10BB

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to be furnished under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 or a trust or institution which is required to be furnished under sub-clause (ii) of clause (b) of section 12A

- * I/We have examined the balance sheet of [name of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution] as at and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution.
- * I/We have obtained all the information and explanations to the best of *my/our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at row 11 of

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications, if any-

(a)	•••••
(b)	
(c)	

In * my/our opinion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said accounts give a true and fair view-

- in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named * fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution as on
- in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application/profit or (ii) loss of its accounting year ending on

subject to the following observations/qualifications—

(a)	
(b)	
(c)	

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place: Date:

> Signed Accountant † Membership Number

Address

Notes:

- 1. *Strike out whichever is not applicable.
- 2. †This report has to be given by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of
- 3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

						ANNEXURE								
	1.	PAN o	of the au	ditee	~					A B	C D	E 1	2 3	4 F
Ļ	2.	Name	of the au	ditee							<u> </u>	<u>'</u>		
s	3.	Assess	ment Ye	ar										
Basic Details	4.	Previo	us Year							d d i	m m y	у у у	у у	
Bas		Registered address of the auditee										у у у	у у	
-	5.													
	6.			s, if applicable						< refer no	ote*>	/ III	Company	Others
Legal	7.		of the auc		lished under an ins	-4				Yes/No		′ Щ	Company	Others
្ន	8.	wnem	ier ine ai	iditee is estab	nsned under an ins	strument?				1 es/No				
	9.			ng Council/ Di he previous ye	rector (s)/ shareho	Author (s)/ Found olders holding 5% o							-	
		Name person		elation refer note#>	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	Id Coo		Addre ss	Whether relation d audit Yes/No				If yes, specify the
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	'>	(6)	(7)				change (8)
t		(b)	(2	,		the persons [as me		l in row		` ′	/idual. tl	hen pro	vide the	
men			details o	of the natural p	persons who are be								wide the	ionowing
Management		Sl. No.	•	Name	Unique Identification Number	ID code < refer note##>	Add ress	Non- indivi person menti		Percentag beneficial ownership		th ar	Thether ere is ny nange	If yes, specify the change
								serial numb 9(a)] which benef	er no in i icial			pr ye au	revious ear of earlidit es/No	
								owner held	rship					
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)	(9)
Jo	10.	(i)			s been granted pro- enced during the pr		n or pro	visional	l approval	, whether	Yes/N	0		
nencement of activities		(ii)	If yes i	n 10 (i), date	of commencement of	of activities					d d	l m r	n y y	уу
Commenceme activities		(iii) If the answer to 10(i) is yes, whether application for registration under section sub-clause (iv) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section 10 has been filed?												
ŭ		(iv)	_		, the date of applica		n or app	roval			d	d m	m y	y y y
ooks	11.	(i)	Whethe	er the books of	account and other at such place as pro	documents have be	en kept	and ma		n the	Yes/No			
re bo other beer		(ii)			hether books of acc					d office?	Yes/No	0		
Details of Place where books of accounts and other documents have been		(iii)		n (ii) above, p	provide the following	ng details regarding	g any pla	ice othe	er than the	registered	place wh	nere the	books of	account
Plac ount nents					ch place where the	books are maintain	ed							
s of account			(b)		on by management			.ce				dd/mn	ı/yyyy	
Detail of dc				Date of intima sub-rule (3) of	ation to Assessing (Officer that accoun	ts are ke	pt at su	ch place	under prov	iso to	dd/mm	n/yyyy	
	12.	Wheth			m No. 10BD for th	e previous year < 1	If No the	n skip t	to serial n	umber 14 >		Yes/N	0	
_	13.				ed in Form No. 10E							(Amou	ınt in Rs.)
ions	14.	Donati	ons not i	eported in For	m No 10BD/ Not re	equired to fill Form	No. 10	BD				Amou	nt in Rs.	
Voluntary contributions	15.	Total v	oluntary	contributions	received by the aud	litee during the pre	vious ye	ar [13+	-14)]			Amou	nt in Rs.	
contr	16.	Total F	Foreign C	Contribution or	it of the total volun	tary contributions s	stated in	15				Amou	nt in Rs.	
ary c	17.	Volunt	tary Cont	tribution formi	ng part of corpus (v	which are included	in 15)					Amou	nt in Rs.	
lunts	18.	Anony	mous do	nations taxable	e @30% under sec	tion 115BBC						Amou	nt in Rs.	
Vol	19.		ation out		which approval as p	per the proviso to	clause (c) of sul	b-section	(1) of section	on 11	Amou	nt in Rs.	
	20.				red to be applied by	y the auditee during	g the pre	vious y	ear [15-(17+18+19)]		Amou	nt in Rs.	
	21.			•	contributions derive						+		nt in Rs.	

		(vi)		s application during that previous year or borrowing during the previous year which was earlier applied and not claimed					ount in Rs.		
		Amo									
		(vii)	Amount disallov	vable under thirteenth provis	e under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3 to ction 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40				ount in Rs. ll schedule TDS		
		(viii)		vable under thirteenth provise read with sub-section (3) or			3 to sub-section	< F 40A	ount in Rs. fill schedule (3)/schedule (3A)>		
Application of Income		(ix)	any hospital or o	fund or institution or trust of ther medical institution refe section 10 of the Act or any corpus	erred to in sub	- clauses (iv), (v), (vi)	or (via) of	Amo	ount in Rs.		
Applicatior		(x)	any hospital or o	fund or institution or trust ther medical institution refe section 10 of the Act or any ng same objects	erred to in sub	or (via) of	Amo	ount in Rs.			
		(xi)	educational insti	person other than any fund tution or any hospital or oth of clause (23C) of section 12 2 of the Act	er medical in	stitution referred to in s	ub - clauses (iv),	Amo	ount in Rs.		
		(xii)	Application outs of section 11 ha	ide India for which approva s not been obtained	ıl under the pı	roviso to clause (c) of	sub-section (1)	Amo	ount in Rs.		
		(xiii)	Application outs of section 11 ha		de India for which approval under the proviso to clause (c) of sub-section (1) been obtained						
		(xiv)	Applied for any	purpose beyond the objects	of the trust or	rinstitution		Amo	ount in Rs.		
		(xv)	Any other disalle	owance				Amount in Rs.			
		(xvi)		Total allowable application [$\{23(iv)+23(v)+23(vi)-\{23(vii) \text{ to } 23(xv)\}\}$]							
		(xvii		Amount deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11					Amount in Rs.		
		(xviii) Income accum		ated under the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section (2) of section 11					Amount in Rs.		
		(xix)		ated or set apart for application to charitable or religious purposes or stated or institution to the extent it does not exceed 15 % of the income					ount in Rs.		
	24.	Taxa	ble income 22- [23(xvi) to 23(xix)]				Amo	ount in Rs.		
	25.	Income taxable under section 115BBI							ount in Rs.		
	26.			is chargeable to tax @ 30 9				Amo	ount in Rs.		
of		Appl		f the following sources duri				Amo	ount in Rs.		
Application of income out of different sources		(A)	section 11 during any	• •				Tota	al Amount (Rs.)		
incon	27	(B)	(B) Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of <i>Explanation</i> 1 to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year					Tota	al Amount (Rs.)		
n of rent	27.	(C) Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart					Tota	al Amount (Rs.)			
atio liffe		(D) Corpus							al Amount (Rs.)		
plic		(E) Borrowed fund							al Amount (Rs.)		
Ap		(F)		al Amount (Rs.)							
Ω.	28.		100								
Person referred to in 13(3)	28.	Code to in section	of person referred sub-section (3) of on 13 er Note^^>	* as referred to in sub-section Name of such person	PAN of such person	Aadhar number of such person, if allotted	Address of such person		If code 2 selected in column (1) specify the amount of contribution made to the auditee		

29.	Deta	ils of income/property referred to in section 13 (2)	•	
(a)		ether any part of the income or property of the auditee is, or continues to be, lent to any specified on for any period during the previous year without either adequate security or adequate interest or	Yes/No	If yes amou in Rs.
(b)	use o	ther any land, building or other property of the auditee is, or continues to be, made available for the of any specified person, for any period during the previous year without charging adequate rent or compensation	Yes/No	If yes amou in Rs.
(c)	speci	ther any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the previous year to any ified person out of the resources of the auditee for services rendered by that person to such auditee he amount so paid is in excess of what may be reasonably paid for such services	Yes/No	If yes amou in Rs.
(d)		ther the services of the auditee are made available to any specified person during the previous year out adequate remuneration or other compensation	Yes/No	If yes amount in Rs.
(e)		ther any share, security or other property is purchased by or on behalf of the auditee from any ified person during the previous year for consideration which is more than adequate	Yes/No	If yes amou in Rs.
(f)		ther any share, security or other property is sold by or on behalf of the auditee to any specified on during the previous year for consideration which is less than adequate	Yes/No	If yes amou in Rs.
(g)		ther any income or property of the auditee is diverted during the previous year in favour of any field person	Yes/No	If yes amou in Rs.
(h)		ther any funds of the auditee are, or continue to remain, invested for any period during the previous in any concern in which any specified person has a substantial interest	Yes/ No	If yes amore in Rs.
30.	provi	ether the auditee has incurred any specified violation as referred to in Explanation 2 to the fifteenth iso to clause (23C) of section 10 or Explanation to sub-section (4) of section 12AB and the amount of violation	Yes/No	Amount in
	(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the trust or institution.	Yes/No	Amount in
	(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.	Yes/No	Amount in
	(c)	Whether the auditee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.	Yes/No	Amount in
	(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.	Yes/No	Amount in
	(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.	Yes/No	Amount in
	(f)	Yes/No		
31.	(23C	ther there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to clause of of section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been need as an application of income and the amount of such depreciation?	Yes/No	If yes spec the amount
32.		ther the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or oter XVII-BB	(If yes, TDS/TCS/ TDS/TCS a	fill Scheo Interest s applicable)

Schedules to	Schedules to fill as may be applicable < refer to instructions> Form 10BB													
	Schedule TDS disallowable: Details of amounts inadmissible and amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40:													
(a) Details of payment on which tax is not deducted														
Date of Payment dd/mm/yyyy	Payment payment payment payee, if available													
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								
(b) Details of p section 139	ayment on which	ch tax has been	deducted b	ut has not been paid (on or before the due d	ate specified in s	ub- section (1) of							
				PAN or Aadhar of payee, if available	Address of payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							

	40A(3): Details of amore read with sub-section		er thirteenth proviso to	section 10(23	3C) or Explanation 3 to sub-secti	ion (1) of
S. No.	Date of payment	Amount of payment (In Rs)	Nature of payment (In Rs)		Details of payee	
				Name	PAN or Aadhar, if available	Address

Schedule 40A(3A): Details of Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A											
S. No.	S. No. Date of payment Amount Nature Details of payee										
				Name	PAN or Aadhar, if available	Address					

Schedule T	DS/TCS								
Tax deduction and collection account number (TAN)	Section	Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule Statement of TDS or TCS							
Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			

Schedule Interest on TDS/TCS			
Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2).	Date of payment of amount
(1)	(2)	(3)	(4)

Notes to Form 10BB

- 1. Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act shall be referred as "auditee" in this form;
- 2. **Any person referred to in sub-section (3) of section 13 shall be referred as specified person in this form;
- *In serial number 6, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the proviso to subrule (3) of rule 17AA;
- 4. #In serial number 9(a), in column (2) for relation one or more of the following codes shall be selected

S. No	Section	Code
(1)	Author	1
(2)	Founder	2
(3)	Settlor	3
(4)	Trustee	4
(5)	Members of society	5
(6)	Members of the Governing Council	6
(7)	Director	7
(8)	Shareholders holding 5% or more of shareholding	8
(9)	Office Bearer (s)	9
(10)	Others	10

5. ##In serial number 9(a), in column (5), and in serial number 9(b), in column (4) for unique identification number and if code, the following should be filled:

(c) If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhar Number	2

(d) If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

6. ^In serial number 28, select one or more of the following codes for specified person:

S. no	Nature of person	Code
(1)	the author of the trust or the founder of the institution;	1
(2)	any person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is to say, any person whose	2
	total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds fifty thousand rupees;	
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee of the trust or manager (by whatever name called) of the institution;	4
(5)	any relative of any such author, founder, person, member, trustee or manager as aforesaid;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred above have a substantial interest.	6

[Notification No. 7/2023 [F. No.370142/47/2023-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 95 (E), dated 14th February, 2023.